लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29—शनिवार, 3 सितम्बर, 1966/12 भाद्र, 1888 (शक)

No. 29-Saturday. September 3, 1966/Bhadra 12, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
Short Notice Question		
24. परादीप पत्तन	Paradeep Port	1-4
25. पंजाब में भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी के विरुद्ध आन्दोलन	Campaign against Corruption and Black Marketing in Punjab	4-8
26. महाराष्ट्र में सूत की मिलें	Cotton Mills in Maharashtra	9-11
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	11-13
केरल में चावल का स्टाक कम हो जाने और चावल के राशन में प्रस्तावित कटौती के समाचार	Reported depletion of rice stock in Kerala and proposed cut in rice ration	11-14
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghvan	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	
रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, आसाम, द्वारा कार्य बन्द करने की धमकी के बारे में	Re. Threatened closure of River steam Navigation Co., Assam	13
दलों के नेताओं के बैठने की व्यवस्था	Seating Arrangement of Group Leaders	14
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	14-18
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill	18
पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966 के बारे में याचिकाएं	Petitions Re. Punjab Reorganisation Bill, 1966	19
वाणिज्य मन्त्री द्वारा दी गई जानकारी के बारे में वक्तव्य तथा मन्त्री महोदय का उत्तर	Statement Re. Information given by Commerce Minister and Minister's reply thereto	19-21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	
पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966-पुरः स्थापित	Punjab Reorganisation Bill 1966 Introduced	21
हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Recent Railway Accidents	21-22
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	23
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	23-30
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Comittee	
श्री कृ० ल० मोरे	Shri K. L. More	
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	
श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav	
श्री गौरीशंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav	
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pathak	
रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) विधेयक	Railway Property (Unlawful Possession) Bill	30-33
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K Patil	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	
श्री त्यागी	Shri Tyagi	
श्री बड़े	Shri Bade	
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
श्री राने	Shri Rane	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में प्रस्ताव-अस्वीकृत	Motion Re. Gold Control-**Negatived**	33-44
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री करणी सिंहजी	Shri Karni Singhji	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney	
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai	
श्रीमती विमला देवी	Shrimati Vimla Devi	
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half an hour Discussion Re. Institute of International Studies	44-47
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak	
श्री मु० क० छागला	Shri M. C. Chagla	

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 3 सितम्बर 1966 / 12 भाद्र, 1888 (शक)

Saturday, September 3, 1966 / Bhadra 12, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अल्प सूचना प्रश्नों को लेगी ।

Shri Kishen Pattnayak : Mr. Speaker, you had assured our group that you would see that the seating arrangement is made.

Mr. Speaker : This can not be taken up at this moment.

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, क्या अल्प सूचना प्रश्नों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया से सम्बद्ध विषय की ओर मैं आपका ध्यान दिला सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम प्रक्रिया के सम्बन्ध में वाद-विवाद नहीं कर सकते । अब प्रश्न लिये जायें ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

परादीप पत्तन

+

अ० सू० प्र० सं० 24. श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री वासुदेवन नायर :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन अधिकारियों ने यांत्रिक विभाग की बड़ी संख्या में कर्मचारियों और तकनीकी कार्मिकों की सेवाओं को 23 अगस्त, 1966 से समाप्त करने के छटनी नोटिस **दिये हैं ;**

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के नोटिस देने के क्या कारण है जबकि पत्तन निर्माण की पहली प्रावस्था भी पूरी नहीं हुई है और दूसरी प्रावस्था प्रारंभ होने वाली है; और

(ग) इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : जी हाँ । इन कर्मचारियों की छटनी की आवश्यकता जिस काम पर वे लगाये गये थे उसके पूरा हो जाने के कारण पड़ी । जिन 63 कर्मचारियों को नोटिस दी गई थी उनमें से 9 को पत्तन के अन्य कामों में लगा लिया है और 15 अन्यों को वैकल्पिक नौकरी दिये जाने की संभावना है । जिन और लोगों को नोटिस दिये गये है उनके लिये भी वैकल्पिक नौकरी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस पत्तन के प्रशासक ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सूचित किया है कि परियोजना के प्रथम चरण का कार्य, जिसमें बस्तियों तथा माल के लांगल स्थानों (Cargo berths) के निर्माण कार्य भी शामिल है, ठप्प पड़ा हुआ है; क्योंकि केन्द्र द्वारा पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है और इसी कारण छटनी हो रही है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पत्तन परियोजना से सम्बन्धित मुख्य असैनिक कार्यों तथा दूसरे कार्यों का प्रथम चरण पूरा हो चुका है तथा पत्तन का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है । लेकिन कुछ और कार्य भी जो विस्तार कार्यों, लांगलस्थानों (berths) तथा दूसरी बातों से सम्बन्धित हैं, आवश्यक स्वीकृति के लिये सरकार के विचाराधीन हैं । परियोजना के दो चरणों के बीच में समय का कुछ अन्तर होता ही है । किन्तु जो कार्य पहिले किये जा चुके हैं, उनमें से यदि कोई श्रमिक फालतू होता है तो उसकी छंटनी की जाती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण (Phase) का ब्यौरा पहिले ही तैयार किया जा चुका है तथा यह एक निरन्तर होने वाला काम है ।

अब जबकि केन्द्रीय सरकार ने एक बड़े पत्तन के रूप में इस पत्तन की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है और राज्य सरकार के ऊपर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही, तो इन यांत्रिक विभाग के कर्मचारियों, जिनकी परियोजना के दोनों चरणों में आवश्यकता होगी, की छंटनी क्यों की जा रही है, जबकि उन्हें बताया गया था कि काम वर्षों तक चलेगा ।

श्री चे० मु० पुनाचा : लांगलस्थानों में सुधार, सैण्ड पम्प ट्रेटल्स, स्लिपवे आदि जैसी बड़ी परियोजना के कार्यों से, दूसरे कार्य बिल्कुल भिन्न होते हैं । ये भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य हैं । वे श्रमिक जो चालू कार्य से भिन्न कार्य में लगे होते हैं तथा फालतू हो जाते हैं, उनकी छंटनी करनी ही पड़ती है और ऐसे ही श्रमिकों की छंटनी की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान, मंत्री महोदय को एक बात स्पष्ट करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पहिले उन्होंने बताया है कि समय कम है और बाद में उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में कहा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि प्रथम चरण में बस्तियों तथा कच्चे लोहे के लांगलस्थान (बर्थ) आदि बनाने की व्यवस्था थी और वह अभी भी नहीं बना पाये ?

श्री चे० मु० पुनाचा : वे कार्य चल रहे हैं । इन श्रमिकों में से 63 श्रमिक खदानों में क्रेनों पर तथा पत्थर निकालने जैसे कामों पर लगे हुये हैं । खदानों के कार्य लगभग पूरे हो गये

हैं। काम का जो भाग खत्म हुआ है उसमें जो श्रमिक काम कर रहे थे, [illegible] कर दी गई है।

था चोरबाजार

डा० रानेन सेन : आज जबकि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या [illegible] ऐसी नीति है कि जब किसी परियोजना का कार्य समाप्त हो तो उसमें काम करने वाले श्रमिकों की छंटनी की जाये, या ऐसी नीति है कि उनको काम पर लगाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाये ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सरकारी नीति श्रमिकों को यथा सम्भव काम पर लगाने की है। किन्तु कुछ परिस्थितियों में छंटनी करनी ही पड़ेगी और ऐसा भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किया जायेगा। सम्बन्धित श्रमिक संघों ने भी यही कहा है। ता० 17-6-66 को हुये समझौते के ज्ञापन में इस सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है :

"मांगों के प्रपत्र में छंटनी प्रथम विषय रखा गया है और यह मान लिया गया है कि जब ऐसी योजनायें जिन्हें प्रबन्धकों ने सरकार के सामने रखा हो, स्वीकार की जाती हैं, तो छंटनी को यथा-सम्भव टाला जाये।"

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत छंटनी के नोटिस जारी किये गये हैं ? श्री पारिचा और श्री महन्ती जैसे श्रमिक संघ के नेताओं के काम पर से हटाये जाने के मामलों को न्यायाधिकरण के पास क्यों नहीं भेजा जाता ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं व्यक्तिगत मामलों से परिचित नहीं हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने श्रमिक संघ से हुये समझौते का उद्धरण दिया। उसी समझौते में यह भी कहा गया है कि समझौता वार्ता असफल सिद्ध हुई और इस मामले को पंच फैसले के लिये भेजा जाना चाहिये। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं 63 व्यक्तियों की छंटनी का उल्लेख कर रहा था। मुझे इन 63 व्यक्तियों के नाम तो ज्ञात नहीं हैं; किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। और कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

Shri Kishen Pattnayak : Let me first of all make it clear that the name of the Port is not Paradeep (परादीप) but it is Paradeep (पारादीप) Para means Pigeon in Oriya and thus this compound word Paradeep means 'Pigeon light' or 'Pigeon lamp'.

Why do they not assess the situation, as to how many workers have to be retrenched after a certain period of time, beforehand in such projects where the work of second phase starts after the completion of first phase ? I would like to know whether how many persons are going to be retrenched and whether assessment was made beforehand in this regard and whether the persons concerned were informed that they were going to be retrenched and they should search jobs ?

श्री चे० मु० पुनाचा : वास्तव में मूल्यांकन लगातार होता रहता है। जब भी काम चालू किया जाता है, कुछ व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो कुछ व्यक्तियों की छंटनी करनी होती है। बड़ी परियोजनाओं में, जिनमें हजारों व्यक्ति काम करते हैं, यह एक साधारण स्थिति है। अतः 63 या 80 श्रमिकों की ऐसी छंटनी भी स्थिति का उचित मूल्यांकन करने के बाद ही की गई है।

[illegible] (ग) इस मा[illegible] : क्या छंटनी के सम्बन्ध में उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई थी।

परिवहन उ[illegible] पुनाचा : जी हाँ।

[illegible] Kishen Pattnayak : How many days before were they informed? Advance information does not mean information passed on before 2 days, 3 days or a fortnight.

श्री चे० मु० पुनाचा : कानून के अनुसार एक महीने पहिले नोटिस देना पड़ता है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जब समझौता वार्ता असफल हो गई है तो वे इस मामले को पंच फैसले के लिये क्यों नहीं भेज देते ? सरकारी विभाग में या सरकारी क्षेत्र की परियोजना में ऐसी स्थिति क्यों है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य कौन सी समझौता-वार्ता की असफलता का उल्लेख कर रहे हैं। हमने 1 जून तथा 17 जून को-दो बार बातचीत की। 17 जून को श्रमिकों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार एक समझौता हो चुका है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या समझौता ज्ञापन में उन दोनों मामलों का उल्लेख हुआ है जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है।

अध्यक्ष महोदय : वे अलग-अलग मामले हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : किन्तु मन्त्री महोदय उन मामलों की जानकारी चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनके पास अलग-अलग मामलों का विवरण नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्योंकि जब मन्त्री महोदय ने समझौता-वार्ता की असफलता के बारे में बताया है, तो उनको इन मामलों की जानकारी भी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इन मामलों की जानकारी है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी नहीं।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 25 के बारे में

Re : SHORT NOTICE QUESTION No. 25

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री दलजीत सिंह, श्री साधुराम, दोनों उपस्थित नहीं हैं। श्री हेम राज।

श्री हेम राज : अल्प सूचना प्रश्न संख्या-25।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, मैं इस प्रश्न पर एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके सचिवालय ने विभिन्न विषयों जिनके लिये कि मंत्रालय उत्तरदायी हैं, पर एक पुस्तिका प्रसारित की उसमें मुझे वाणिज्य-मंत्रालय के अन्तर्गत भ्रष्टाचार जैसा कोई विषय नहीं मिला। हो सकता है हाल ही में उनके विभाग में कुछ परिवर्तन किया गया हो और चोरबाजारी तथा तत्सम्बन्धी विषयों को उनके विभाग में शामिल किया गया हो। क्योंकि वह विभाग वाणिज्य-मन्त्री का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर सुनिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह क्या उत्तर दे रहे हैं ? यह भ्रष्टाचार तथा चोरबाजारी के विरुद्ध अभियान के बारे में है । वह सब गृह-मन्त्री का उत्तरदायित्व है ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः यह व्यापार तथा दूसरी बातों के बारे में है और इसीलिये यह वाणिज्य-मंत्रालय को भेजा गया है ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : यह सिविल सप्लाई से संबन्धित है ।

श्री हरिविष्णु कामत : कृपया प्रश्न पढ़ें । इसमें "भ्रष्टाचार और चोर-बाजारी" का उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को सुनिये ।

श्री रंगा : सिविल सप्लाई का इससे कोई संबन्ध नहीं है । प्रश्न इस प्रकार है :

"पंजाब में भ्रष्टाचार तथा चोर-बाजारी के विरुद्ध चल रहे अभियान में अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं ?"

अध्यक्ष महोदय : सिविल सप्लाई द्वारा मारे गए छापों के सम्बन्ध में ही वे सब गिरफ्तारियां हुई हैं ।

श्री हेम बरुआ : तब आप इस बात से सहमत है कि सिविल सप्लाई के कारण चोरबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब उत्तर सुनिये ।

Shri Bagri : Mr. Speaker, Police Officer have also been arrested there.

पंजाब में भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी के विरुद्ध आन्दोलन

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 25

\+

श्री हेमराज : **श्री साधूराम** :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी के विरुद्ध आन्दोलन के सम्बन्ध में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं;

(ख) क्या भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) चोर बाजारी, जमाखोरी तथा वितरण व्यापार से सम्बद्ध अन्य बुराइयों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में 21 अगस्त 1966 तक 1247 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं । अभियान 15 जुलाई, 1966 को शुरू हुआ था ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेमराज : गिरफ्तार किये गये बड़े बड़े जमाखोरों, मिल मालिकों और कारखाना मालिकों की क्या संख्या है और खुदरा व्यापारियों की क्या संख्या है ?

श्री मनुभाई शाह : इन 1276 व्यक्तियों में से जिनके विरुद्ध मुनाफाखोरी, जमाखोरी, अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट आदि के लिये कार्यवाही की गई है, 1171 व्यापारी है और 90 व्यक्ति ऐसे बड़े लोग हैं जो उद्योगपति हैं अथवा जिनके कारखाने हैं। गिरफ्तारियाँ जमाखोरी, चोरबाजारी, अधिक मूल्य लेने जैसे अनेक अपराधों में की गई हैं।

श्री हेमराज : क्या इन व्यापारियों अथवा अन्य व्यक्तियों से पदाधिकारियों के बारे में कोई सुराग मिला है; यदि हां, तो उन पदाधिकारियों की क्या संख्या है और उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और 32 पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उनमें से कुछ के पद-नाम ये हैं : असिस्टेंट फूड एण्ड सप्लाई आफिसर, जालंधर, असिस्टेंट इन्सपेक्टर आफ पुलिस, पटियाला; मार्केटिंग इन्सपेक्टर, कुल्लू; इंडस्ट्रीज आफिसर, हिसार; पलटा डिस्ट्रिक्ट फूड एण्ड सप्लाई कन्ट्रोलर, होशियारपुर; भटिंडा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल; फूड एण्ड सप्लाईज का सब इंस्पेक्टर, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। ये व्यक्ति विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारी हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह उत्तर अधूरा है। प्रश्न में पूछा गया है "भ्रष्टाचार और चोरबाजारी के विरुद्ध"। उन्होंने बताया है "चोर बाजारी जमाखोरी और मुनाफाखोरी"। उनके उत्तर में भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जो पदाधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं वे भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार किये गये होंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : किये गये होंगे। यह तो एक धारणा है।

श्री कपूर सिंह : क्या ऐसा भी कोई मामला है जिसमें मशीन से बने कपड़े को हाथ से बनी खादी के नाम से बेचा गया हो ?

श्री मनुभाई शाह : ये गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, गुड़ शक्कर आदि के मामले हैं। यह अभियान एक विशेष प्रकार का अभियान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीवनोपयोगी अत्यावश्यक वस्तुएं जनता को उचित और नियंत्रित मूल्य पर मिलें।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई मिल से बना कपड़ा खादी बता कर बेचा गया था ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। खादी का प्रश्न ही नहीं उठता। खादी का इस प्रकार वितरण नहीं होता। इसमें मील में बना कपड़ा भी नहीं है। यह तो गेहूं, चावल, धान, चना, आटा -डीजल तेल, मिट्टी का तेल आदि है।

श्री दी० चं० शर्मा : इस अभियान के लिये मैं राज्यपाल को बधाई देता हूँ। यह अभियान कब तक चलेगा और क्या यह तब तक चलेगा जब तक कि अत्यावश्यक वस्तुओं की स्थिति

सामान्य नहीं हो जाती और डीजल तेल, मिट्टी का तेल और अन्य वस्तुओं में मिलावट बन्द नहीं हो जाती ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो स्पष्ट है कि यह अभियान किसी मौज के लिये नहीं वरन् इस उद्देश्य के लिये चलाया गया है कि अत्यावश्यक वस्तुएं जनता को उपलब्ध हों। इसके परिणाम बड़े अच्छे हुए हैं और अब मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समूचे पंजाब में अत्यावश्यक वस्तुएँ निर्माताओं द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य पर बेची जा रही हैं।

श्री दाजी : यह आन्दोलन अन्य राज्यों में भी क्यों नहीं चलाया गया है। क्या यह कुछ राजनीतिक कारणों से है अथवा इस कारण है कि सरकार यह समझती है कि अन्य राज्य में जनता को ये कठिनाइयां नहीं हो रही हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : क्योंकि यह प्रश्न पंजाब के बारे में था इसलिए मैंने पिछले सप्ताहांत तक का विवरण दे दिया। अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया है। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश ने बड़ी कड़ी कार्यवाही की है।

श्री श्रीनारायण दास : मन्त्री महोदय ने बताया कि अनेक पदाधिकारी भी गिरफ्तार किये गये हैं। इन पदाधिकारियों ने किस प्रकार का अपराध किया था ?

श्री मनुभाई शाह : ये जमाखोरी के मामले हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ किसी ने गलत पर्मिट दिये हैं या किसी ने अनाज के भन्डार के लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।

श्री श्रीनारायण दास : मैं पदाधिकारियों के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री मनुभाई शाह : गलत पर्मिट देने आदि के कारण।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देते समय अध्यक्षपीठ की ओर मुंह रखें।

Shri Bagri : Is the hon. Minister aware of the fact that in Punjab the Depot-holders of ESSO Company have been arrested for mixing kerosene oil in diesel oil and the order of mixing kerosene in diesel oil was given by the Punjab Government itself ; if so, how their arrest is legal ?

Mr. Speaker : It is to be decided by the Court as to how their arrest is legal. The hon. member can simply ask about facts.

Shri Bagri : I have asked whether he is aware of it.

Shri Manubhai Shah : I do not want to go in details in the House. If the hon. Member is interested in any particular case, he can put a question and we can give a reply to that.

Shri Bagri : I have asked about all the depot-holders in the whole of Punjab. The ESSO Company has itself mixed kerosene in the diesel oil.

Mr. Speaker : Have Govt. got any such information ?

Shri Manubhai Shah : We have not received any such complaint.

श्री शिकरे : मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि यह अभियान 15 जुलाई को आरम्भ किया गया था। सबसे पिछली गिरफ्तारी किस तारीख को हुई थी ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे पास 21 अगस्त तक के आंकड़े हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ये सभी भ्रष्टाचार के मामले या चोर बाजारी के मामले मन्त्रालय के अथवा नागरिक पूर्ति विभाग के पदाधिकारियों की साँठ गाँठ से हुए हैं और यदि हाँ, तो क्या इन मामलों की पड़ताल कोई स्वतन्त्र एजेन्सी कर रही है अथवा इन मामलों को उन ही व्यक्तियों के पास भेजा गया है जो चोर बाजारी कार्य में उनका साथ देते है ?

श्री मनुभाई शाह : इस प्रश्न का सामान्य तौर पर उत्तर देना बड़ा कठिन है। ये ब्यौरा राज्य प्रशासन ने दिया है और हर मामले पर पृथक रूप से इस सभा में बहस करना बड़ा कठिन होगा। मैं केवल यह बता सकता हूँ कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इन मामलों की पड़ताल कोई स्वतंत्र एजेन्सी करेगी।

श्री मनुभाई शाह : उदाहरण के तौर पर अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अन्य जिलों में फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टरों के बारे में जांच कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि जहाँ तक हो सके स्वतंत्र जाँच हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय द्वारा बनाये गये आँकड़ों के बावजूद भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में अब तक इस अभियान का कुल प्रभाव नगण्य रहा है। और ऐसी अफवाह अथवा समाचार हैं कि व्यापारियों के दबाव के कारण यह अभियान रुक सा गया है।

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं। यह बिल्कुल गलत है।

Shri Yashpal Singh : What is the reaction of the Government on the activities of the team of dissident congressmen who are propagating against the Governor and who are trying to approach the Home Minister ?

Shri Manubhai Shah : We fully support the Governor.

श्री हेम बरुआ : क्योंकि पंजाब के राज्यपाल द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही ने अन्य राज्यों में काँग्रेस सरकार के लिये खेद और शर्म की स्थिति पैदा कर दी है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि गृह मन्त्री जी ने पंजाब के राज्यपाल से चोरबाजारियों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध अभियान की गति धीमी करने को कहा है ? ?

श्री मनुभाई शाह : यह आक्षेप बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शाँति, शाँति।

श्री बूटा सिंह : क्या हिन्दी क्षेत्र की तुलना में पंजाब के पंजाबी क्षेत्र में ही चोर-बाजारी हो रही है ? क्या सरकार इस अभियान के लिये भारत सुरक्षा नियमों को लागू कर रही है और यदि हां, तो कितने मामलों में ये नियम लागू किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हम भारत सुरक्षा नियम लागू नहीं कर रहे हैं बल्कि अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम और अन्य सम्बन्धित अधिनियम लागू करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

महाराष्ट्र में सूत की मिलें

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 26. **श्री द्वारका दास मन्त्री** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में छः सूत की मिलें बन्द हो गई हैं और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें चलाने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन मिलों के कब से चालू होने की संभावना है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को पूरी मजूरी देने और उनकी संख्या कम न करने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) :

(क) महाराष्ट्र में केवल चार सूती कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं । इनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत नियंत्रक के अधीन है । अन्य तीन मिलों को चालू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri D. D. Mantri : Is the hon. Minister aware that when the Labour Minister, Shri Jagjiwan Ram went Bombay, the Labour Minister of Maharashtra met him and represented about the six mills which are closed and demanded the Central Government for giving some relief in the excise taxes, excise duty and provident Fund ? He said that if some relief is given, all the labourers can be employed and all the mills can run.

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : He said and a letter has also been received from him to the effect that certain relief in excise duty should be given. We are considering that. But we are not of the opinion that Government take over a factory and give exemption in taxes.

Shri D. D. Mantri : Are Government aware that in such mills which are proposed to be started, some such modern machinery is required whereby more number of labourers can be employed and if so, whether Government are giving some financial help to the State Government and whether these mills will be run through a textile corporation ?

Shri Shafi Qureshi :At present 12 mills are being run by the Authorised Controller. Government have no idea of running these mills through the Corporation as the Authorised Controller is running these mills efficiently and there has been some profit also in these mills.

Shri D. D. Mantri : Sir, my question has not been answered. My question is regarding mills which are closed. Are they going to be run through the textile Corporation ?

Mr. Speaker : He said that they do not intend as such.

Shri Shafi Quareshi : I have replied that there is no intention of running these mills through the corporation.

Shri Bade : The hon. Minister has said that out of 6 mills three have started and other three are still closed. I want to know the number of labourers in these three mills who are not getting any wages and are unemployed. Have the Government made some arrangement for the employment of these labourers? For how long these mills are closed ?

Shri Shafi Quareshi : In these four mills about 9 thousand labourers are jobless but we have no such information that they have been left in distress and no arrangement have been made for them.

Shri Bade : There is a provision to give them some money till the mills remain closed. Is this money is paid to them or not ?

Shri Shafi Quareshi : We cannot do anything unless the State Government requests for their taking over.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : किसी निगमित निकाय का प्रबन्ध सरकार द्वारा किन शर्तों में अपने अधीन लिया जाता है और क्या वे शर्तें पूरी होती हैं और इनका प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने में सरकार को कितना आवर्ती और अनावर्ती दायित्व संभालना पड़ेगा ?

श्री शफी कुरेशी : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है । जब कभी किसी मिल के, प्रबन्ध की अकुशलता अथवा कठिनाइयों के कारण, अथवा मशीनें पुरानी पड़ जाने के कारण या वित्तीय कठिनाइयों के कारण, बारे में शिकायत होती है तो राज्य सरकारें यह मामला केन्द्रीय सरकार को भेजती है । फिर इसके पश्चात् उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत एक जाँच समिति नियुक्त की जाती है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार मिल को अपने नियंत्रण में लेने की संभावना पर विचार करती है । फिर एक "अधिकृत नियंत्रक (अथोराइज्ड कन्ट्रोलर)" नियुक्त करती है । धन के बारे में अधिकृत नियंत्रक सरकार को बताता है कि इतना धन दिया जाये ताकि मिल को ठीक प्रकार चलाया जा सके । इस मामले को किसी निगमित निकाय को सौंपने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रिय गुप्त : बैंकों के फेल हो जाने पर, भारत सरकार कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था करती है । क्या कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में भी सरकार किसी कपड़ा मिल के आरम्भ होने से पूर्व कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाने पर विचार कर रही है ताकि कुछ कारणों से मिलें बीच में ही बन्द न हो जायें ? यदि ऐसी कोई योजना अभी नहीं है तो क्या सरकार ऐसी एक योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में कार्यवाही करेगी क्योंकि हमें देश में कपड़ा मिलों की जरूरत हैं जो ठीक से चल सकें ।

श्री शफी कुरेशी : 600 मिलों में से इस समय केवल 17 मिलें बन्द हैं । जब मिलों को कभी किसी वित्तीय गारन्टी की आवश्यकता होती है तो सरकार यह गारंटी देती है और उनको धन दिया जाता है और फिर बैंक यह देखते हैं कि क्या मिल के पास पर्याप्त पूंजी और पर्याप्त आस्तियाँ है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो धन वे देते हैं, वह सुरक्षित है ।

श्री प्रिय गुप्त : मिलों को बन्द होने देने की बजाय क्या सरकार कोई सुरक्षा उपायों के बारे में विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : प्रतिकरात्मक कार्यवाही दो प्रकार की होती है । जब कभी कोई मिल पुरानी और कमजोर हो जाती है तो हम फौरन अधिक क्षमता का लाइसेंस जारी करते हैं ताकि

सभी कर्मचारियों को वहीं खपाया जा सके। दूसरे, इस सभा द्वारा स्वीकृत छंटनी प्रतिकर योजना के अन्तर्गत, छंटनी प्रतिकर की पर्याप्त व्यवस्था है।

श्रीमती विमला देशमुख : इन बन्द मिलों के क्या नाम हैं और ये कब से बन्द हैं ?

श्री शफी कुरेशी : चार बन्द मिलों के नाम ये हैं : दि सावतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला ; दि न्यू प्रताप स्पिनिंग एण्ड वीविंग मैन्युफैक्चर कं० लि०; दि विदर्भ मिल्स, बरार; और दि औरंगाबाद मिल्स लि०, औरंगाबाद।

श्रीमती विमला देशमुख : ये मिलें कब से बन्द हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री काशी राम गुप्त।

Shri Kashi Ram Gupta : The mill-owners of these closed mills have given the reason of closure as 'obsolete plant' and if it is a fact have they asked for the licence and finances from the Government ?

Shri Shafi Quareshi : In some mill there is lack of finances, in the other there is labour trouble, in some will there is inefficient management and in the other there is dilapidated machinery. These are some reasons.

Shri Kashi Ram Gupta : Does it include obsolete plant and machinery ?

Shri Shafi Quareshi : Yes, Sir.

Shri Kishen Pattnayak : About Rs. six thousand have been invested in all the textiles mills in Maharashtra. Still some defects are noticed in them every now and then. I want to know from the hon. Minister whether he has made any assessment of the same and come to the conclusion that the real problem in the case of most of these mills is that of machinery installed therein. The Machines are outdated and require to be replaced. As such, giving assistance of Rs. one or two lakhs in stray cases is not going to serve any useful purpose. These mills should be modernised by spending some more money. As the Government would have to spend a lot of money on them, serious thought should be given to nationalise them.

Shri Shafi Quareshi : This is a suggestion for action and it will be considered:

Shri Kishen Pattnayak : Sir, I asked whether he is aware of it..
(Interruptions).

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में चावल का स्टाक कम हो जाने और चावल के राशन में प्रस्तावित कटौती के समाचार

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : यह तथ्य है कि केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था के द्वारा वितरित करने के लिए जो चावल का स्टाक सरकार के पास है उसमें कमी आ गई है। यह चावल की फसल ऋतु के लिए मंडियों में कम से कम आमद का समय है और भारत सरकार के पास उपलब्ध चावल का स्टाक न केवल अकेले

केरल में वस्तुतः देश भर में बहुत ही कम रह गया है। हमारे पास 84 लाख मीट्रिक टन चावल की कमी है। हमने अधिकतम संभव सीमा तक अपना चावल का आयात बढ़ा दिया है। आशा है कि जब तक चावल की नई फसल की कटाई से स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक विदेशों से खरीदे गए चावल के निरन्तर आते रहने और अधिशेष राज्यों में तैयार किये गए चावल के स्टाक में से चावल देने से वितरण प्रणाली को बनाए रखना संभव होगा। सरकार बड़ी सावधानी से स्थिति की निगरानी कर रही है। और राज्य की सप्लाई बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव कार्य कर रही है। केरल में राशन के चावल में तुरन्त किसी प्रकार की कटौती करने का कोई विचार नहीं है।

श्री अ० व० राघवन : इस महीने कितने चावल की आवश्यकता है और राज्य में वर्तमान स्टाक कितना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : सितम्बर में वितरण के लिये पर्याप्त चावल है।

श्री केप्पन (मवात्तुपुजा) : क्या सरकार को पता है कि आजकल केरल में लोग एक समय भोजन नहीं कर रहे और राज्य के बहुत से भागों में चावल का मूल्य 2 रुपये 80 पैसे से 3 रुपये तक है और फिर भी चावल उपलब्ध नहीं है जबकि पड़ोस के मद्रास राज्य में चावल का मूल्य बहुत कम है ? राज्य में चावल पहुँचाने के लिए सरकार क्या कर रही है।

क्या यह तथ्य है कि चावल की कमी कुछ चौकियों में भ्रष्टाचार के कारण है ? इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक वितरण का प्रश्न है, केवल केरल राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को चावल तथा गेहूँ की सप्लाई निश्चित है। जहाँ तक खुले बाजार में मूल्य का सम्बन्ध है, मद्रास में भी मूल्य बढ़ गये हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि यह फसलों के कटने से पहले का समय है और इस समय चावल की बहुत ही कम आमद है। केरल में फसल कटकर आने लगी है और अक्टूबर में आयेगी। पिछले दो सप्ताह में केरल में खुले बाजारों में मूल्यों में काफी कमी हुई है।

श्री प० कुन्हन (पालघाट) : क्या सभी वर्गों के लोगों ने 180 ग्राम सप्लाई के लिए बराबर मांग नहीं की है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस समय कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। वर्तमान स्तर को ही बड़ी कठिनाई से बनाए रखना संभव होगा।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : क्या फालतू स्टाक वाले राज्यों से उपलब्धि लक्ष्य से कम मात्रा में हुई है ? क्या नई फसल खराब होने के कारण भी कमी है ? यदि हाँ, तो चावल के राशन में तुरन्त कटौती न करने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : दुर्भाग्य से तथा-कथित फालतू स्टाक वाले राज्यों में भी पिछले वर्ष उत्पादन पहले से कम रहा था। अतः वे राज्य हमें उतना चावल नहीं दे सकेंगे जितने की हम आशा करते थे। फिर भी मैंने यह आश्वासन दिया है कि आयातित चावल तथा फालतू स्टाक वाले राज्यों से मिले चावल द्वारा वितरण व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : यह देखते हुए कि केरल में सदा यह शिकायत रही है कि

वहाँ चावल की मात्रा बहुत कम है, क्या आयात की मात्रा को बढ़ाने अथवा भविष्य में अतिरिक्त आयात करने का कोई प्रस्ताव है ताकि कुछ न कुछ किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम आयात करके जितना चावल मंगा सकते हैं मंगा रहे हैं। विश्व बाजार में चावल की कमी है और जहाँ कहीं यदि अधिक मूल्य पर भी चावल मिल रहा है तो हम मंगा रहे हैं। केरल में चावल की जो मात्रा दी जा रही है वह पश्चिमी बंगाल में दी जा रही मात्रा की तुलना में कुछ अधिक ही है।

श्री वासुदेवन नायर : दो मास पूर्व ऐसा समाचार मिला था कि मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश तथा मद्रास के मुख्य मंत्रियों से केरल के लिये उधार खाद्यान्न लेने के लिए बात चीत हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केरल को चावल सप्लाई करने की जिम्मेदारी उन दोनों राज्यों पर है अथवा केन्द्रीय सरकार पर है ? क्या वे राज्य सप्लाई करेंगे तब ही केरल को चावल मिलेगा या इसके लिए श्री सुब्रह्मण्यम तथा उनका मंत्रालय जिम्मेदार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : केरल को चावल सप्लाई करने के लिये मैं पूर्णतया जिम्मेदार हूँ और केरल में सप्लाई बनाए रखने के लिए मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मद्रास तथा आंध्र प्रदेश ने भी सहयोग दिया है।

रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी आसाम द्वारा कार्य बन्द करने की धमकी के बारे में

Re. THREATENED CLOSURE OF RIVER STEAM NAVIGATION Co. IN ASSAM

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैंने परिवहन मंत्री को 6 सितम्बर से आसाम में रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी द्वारा कार्य बन्द करने की धमकी के बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न के बारे में सूचना दी थी। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यदि ऐसे सामरिक महत्व के क्षेत्र में नैवीगेशन कम्पनी के बन्द होने से बुरे परिणाम निकलेंगे और बहुत से लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

आज प्रात: मुझे कार्यालय से सूचना मिली है कि चूंकि सरकार ने पहले ही दो तीन अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार कर लिए हैं, और अधिक अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं किए जा सकते। अत: यह प्रश्न उठता है कि क्या आपने कोई संख्या निर्धारित की है और आदेश दिया है कि एक दिन में तीन से अधिक अल्प-सूचना प्रश्न नहीं लिए जा सकते। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आसाम में जो कि एक सीमावर्ती राज्य है, नदी स्टीम नौपरिवहन के मुख्य साधन के बन्द हो जाने के महत्वपूर्ण मामले को उठाया जा सकता है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : साधारणत: हम एक अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना को स्वीकार करते हैं और इस बार इस सत्र में मैं ऐसी सूचनायें काफी मात्रा में स्वीकार कर रहा हूँ और लगभग 27 सूचनायें स्वीकार की जा चुकी हैं। शेष दिनों के लिए दो तीन प्रश्न रखे हैं।

श्री हेम बरुआ : उन्हें चार क्यों नहीं कर देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूँगा कि क्या यह संभव है।

दलों के नेताओं के बैठने की व्यवस्था
SEATING ARRANGEMENT OF GROUP LEADERS.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I have to state two things. First, you had assured us that since new seating arrangements could not be done, at least the leader of our group will be given a front seat. Secondly, I had tabled a notice under rule 377...

Mr. Speaker : I had told Shri Bagri that the number of members in his group was such that he should get the front seat as other Group leaders whose Groups contain equal number of members, or even less, occupy the front seats. All the Groups are not regularly recognised ones and I have to decide only on the basis of the number of their members. I can apply no other test except that of number. This question was raised in the previous Session. I had then told that since this Session is coming to a close I would consider on that matter in the following Session. When this matter was raised during this Session I again informed them that I accept this fact that in view of the number of members in the group, their leader should occupy the front seat. Recently I offered them a front seat but they did not accept it; other parties also objected to it. Later it was decided not to disturb the seating arrangement since it was almost the end of the Session. I asked the leader of the House to give me a front seat so that I may offer it to Shri Bagri. He did not promise but I shall continue my efforts in order to make available a front seat to Shri Bagri. He should get the front seat in view of the number of members in his Group.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह ठीक नहीं है कि सदस्य आप से बार बार कहते रहें। आप स्वयं ही यह व्यवस्था कर दिया करें तो अच्छा है। बार बार लिखने पर भी कुछ नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re : QUESTION OF PRIVILEGE

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैंने श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा था। 18 अगस्त 1966 को श्री अतुल्य घोष ने पाकिस्तानी जासूसों के बारे में पिछले दिन की आधे घंटे की चर्चा में लगाए गये आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का वक्तव्य दिया था। एक मुसलमान जो कि मोहित चौधरी जैसा हिन्दू नाम रखे हुये था तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय के एक कर्मचारी, सुनील दास, पाकिस्तान की ओर से जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए थे। यह कहा गया था कि श्री अतुल्य घोष इन लोगों को जानते हैं और उच्चाधिकारियों के दबाव के कारण इन लोगों को पकड़ने में विलम्ब हुआ था। दबाव के कारण ही केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को पश्चिमी बंगाल सरकार को लौटा दिया था।

जिस समय श्री अतुल्य घोष अपना वक्तव्य देने के लिए उठे थे, उसी समय श्री मधु लिमये ने यह चेतावनी दी थी कि उनके वक्तव्य में कोई गलत तथ्य अथवा विवाद की बात नहीं होनी चाहिये। अत: यदि उनके वक्तव्य में कोई झूठी बात सिद्ध होती है तो उसे जान बूझ कर सभा को गुमराह करना समझा जाना चाहिये।

श्री अतुल्य घोष ने अपने वक्तव्य में जान बूझ कर झूठी बातें बतायीं और जान बूझ कर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर सदन को गुमराह किया और घटनाओं के बारे में गलत धारणा उत्पन्न की।

श्री अतुल्य घोष ने अपने वक्तव्य में बताया कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कर्मचारी, श्री सुनील दास, के मकान की तलाशी ली गई थी तो वह उनके पास गया था और श्री अतुल्य घोष ने उसे किसी वकील से सहायता लेने के लिए कहा था क्योंकि देश में कानून की व्यवस्था का अवश्य पालन किया जाना चाहिए था।

10 अगस्त को सबेरे श्री सुनील दास के मकान की तलाशी ली गई थी और उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री अतुल्य घोष उस समय दिल्ली में नहीं थे। संसद में इस मामले के उठाये जाने के बाद ही वह 18 अगस्त 1966 को वापस दिल्ली आये। वह सुनील दास से कैसे मिल सके होंगे ? अतः श्री घोष ने 18 अगस्त 1966 को संसद में जानबूझ कर यह गलत बयान दिया कि उन्होंने सुनील दास को बताया था कि कानूनी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए और उसे वकील के पास जाना चाहिए। या तो यह सब सभा को गुमराह करने के लिए जानबूझ कर दिया गया झूठा बयान था और या श्री अतुल्य घोष का गृह मंत्रालय तथा पुलिस और जासूसी विभागों पर इतना असर था कि वह सुनील दास के गिरफ्तार होने के बाद भी उससे मिल सके थे।

मैं यह कहती हूँ कि श्री अतुल्य घोष का वक्तव्य झूठा है और वह सभा को गुमराह करने तथा सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने के लिए दिया गया था। श्री अतुल्य घोष ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुए सदस्यों पर यह आरोप लगाया था कि सदस्यों का आशय उन पर व्यक्तिगत रूप से कलंक लगाने का था। इस सारी घटना से सभा के कई विशेषाधिकार भंग होते हैं और यह सारा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि श्री अतुल्य घोष ने सदन में अपने वक्तव्य का शुद्धीकरण भी प्रस्तुत किया है। उसमे उनके इस मूल कथन के बयान कि श्री सुनील दास के मकान की तलाशी लेने के बाद श्री सुनील दास उनके पास गये थे, अब यह कहा गया है कि सुनील दास वारंट जारी किये जाने के बाद श्री अतुल्य घोष के पास गये थे। यह बहुत गम्भीर बात है।

रिपार्टर की प्रति में इसमें और भी शुद्धि की गई है। हम श्री अतुल्य घोष के वक्तव्य का "टेप रिकार्ड" पुनः सुनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप गृह मंत्रालय में पुलिस के समक्ष दिये गये श्री मोहित चौधरी के स्वीकृति वक्तव्य की एक प्रति मंगायें। इस प्रकार यह पता चलेगा कि जो भी वक्तव्य श्री अतुल्य घोष ने दिये हैं वे सब झूठे हैं और यह विशेषाधिकार भंग का स्पष्ट मामला है। यह सारा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को यह सूचित करता हूँ कि श्री अतुल्य घोष ने वह शुद्धी की थी परन्तु उसके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : श्री अतुल्य घोष ने अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में कहा है कि वह "मोहित चौधरी को कभी नहीं जानते थे" और उन्होंने अपने जीवन में "कभी नहीं देखा है"। श्री मोहित चौधरी द्वारा दिया गया स्वीकृति-वक्तव्य यदि सभा पटल पर रखा जाए तो उससे श्री अतुल्य घोष की बातों की असत्यता दिखाई पड़ेगी। श्री अतुल्य घोष के इस वक्तव्य से कि श्री सुनीलदास अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 105 कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी थे, यह धारणा उत्पन्न की गई है जहां तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय के ढांचे का

संबंध है, वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। परन्तु हम यह बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का कार्यालय सचिव नियुक्त करने का प्रस्ताव था और वह अखिल भारतीय काँग्रेस समिति के काग़ज़ात को देख पढ़ सकता था और वह कभी कभी कार्य-कारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही भी सुना करता था।

श्री अतुल्य घोष ने यह स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है कि उन्होंने श्री सुनीलदास के मामले को दबाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार पर कोई दबाव डाला था। परन्तु इस मामले को विशेष अनुभाग से लेकर डी० डी० पश्चिमी-बंगाल को अगस्त के आरम्भ में जो सौंपा गया था तो यह मुख्यत: पश्चिमी बंगाल सरकार पर श्री अतुल्य घोष के प्रभाव के कारण ही किया गया था।

हम यह जानना चाहते हैं कि जब मकान की तलाशी के पश्चात् श्री सुनील दास को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह पुलिस की हिरासत में थे उस समय वह श्री अतुल्य घोष से मिलने कैसे चले गये ? क्या पुलिस श्री सुनील दास को दिल्ली में श्री अतुल्य घोष के मकान पर ले गये थे ? क्या श्री अतुल्य घोष उस दिन दिल्ली में थे अथवा क्या पश्चिमी बंगाल की पुलिस श्री सुनील दास को दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर-बम्बई अथवा कलकत्ता में-ले गई थी जिससे वह श्री अतुल्य घोष से बातचीत कर सकें ? यदि ऐसा है तो, क्या पुलिस इस प्रकार बन्दियों को एक नागरिक के घर ले जा सकती है ? सच्चाई क्या है ? इस मामले में गड़बड़ दिखाई देती है और श्री अतुल्य घोष जासूसी के इस मामले में अच्छी तरह फंसे हुए हैं।

श्री सुनील दास के गिरफ्तार होने तथा उनके मकान की तलाशी के बाद, दिल्ली के एक दैनिक समाचार पत्र में इस आशय का एक समाचार छपा था कि श्री दास के मकान पर नक़दी, सोना, आभूषण मिले थे। वह नक़दी, सोना, आभूषण कहाँ गए ? क्या यह तथ्य है कि जब पुलिस सुनील दास तथा इन चीजों को श्री घोष के मकान पर ले गई थी तो श्री घोष ने पुलिस से इन चीजों को न ले जाने के लिये कहा था ? क्या श्री घोष ने पुलिस को डरा कर इस बात के लिए राजी किया था कि ये चीजें कांग्रेस के खजांची अथवा उनके एक मित्र को दे दी जाएं।

इस सभा में वैयक्तिगत स्पष्टीकरण की प्रक्रिया का इतने नग्न ढंग से दुरूपयोग पहले कभी नहीं किया गया जैसा कि श्री अतुल्य घोष ने 18 अगस्त को किया। यह आवश्यक है कि उन्हें विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया जाय और इस मामले पर उचित तथा शीघ्र विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाय जो आगामी सत्र के पहले दिन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

In the end I would say that in connection with the Profumo affair, the leader of the Tory Party, Mr. Mcleod had tabled a privilege motion against a former Minister belonging to his own party. Let some eminent leader of the Congress ruling party should also come forward and table a privilege motion against the Congress Party Treasurer to prove that where the interest of the country is concerned, the Congress Party or this House show no favour or consideration to anybody whosoever he may be.

अध्यक्ष महोदय : श्री अतुल्य घोष अपना वक्तव्य अभी देंगे अथवा उन्हें कुछ समय चाहिए ?

श्री अतुल्य घोष : (आसनसोल) : जी, मैं अपना वक्तव्य अभी दूँगा।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

तथा श्री मधु लिमये के वक्तव्य के बाद श्री अतुल्य घोष किस नियम के अन्तर्गत अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिये कि मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहता हूँ कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए अथवा नहीं।

श्री अतुल्य घोष : (आसनसोल) : मुझे खेद है कि मैंने 18 अगस्त को अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण देते समय एक गलत बात कही थी कि श्री सुनील दास मेरे पास आये और उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर की तलाशी ली गई है। मैंने अपना स्पष्टीकरण बिना पूर्व तैयारी के दिया था। लोक सभा सचिवालय से अशोधित वक्तव्य की प्रति प्राप्त होने के तुरन्त बाद मैंने महसूस किया कि मैंने सभा में एक गलत वक्तव्य दिया था और मैंने उसमें इस आशय की शुद्धि कर दी कि जब पुलिस ने श्री सुनील दास के मकान पर पूछ ताछ की थी उस समय वह आये थे, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके मकान में उनसे पूछ ताछ की गई थी। सभा को भ्रम में डालने तथा सचाई को तोड़ मरोड़ कर बताने का मेरा इरादा नहीं था, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है। मुझे इस गलती का तथा एक अन्य वक्तव्य द्वारा इस में शुद्धि न करने का खेद है।

मुझे श्री मोहित चौधरी द्वारा अपने दोष को स्वीकार किये जाने की बात का कोई पता नहीं है जिसका माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये ने उल्लेख किया है।

मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि सुनील दास को कार्यालय सचिव बनाने का कोई सुझाव दिया गया था। वास्तव में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय में कार्यालय सचिव का कोई पद ही नहीं है।

मैं पहले दिये गये अपने इस वक्तव्य से अब भी नहीं डिगा हूँ कि मैंने केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार पर कोई प्रभाव डाला था।

जिस दिन श्री सुनील दास को गिरफ्तार किया गया था उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : On a point of order the two or three points, just raised, have not been answered. The member, first, says that 'malicious propaganda has been made against him by another honourable Member. Secondly, no satisfactory reply has been given to the demand made by Smt. Renu Chakravarty and Shri Madhu Limaye, for placing the confirmation statement of Shri Mohit Chaudhri before the House. You may kindly give your ruling on the matter.

Mr. Speaker : There is no point of order at all.

श्री दाजी (इन्दौर) मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके कार्यालय ने श्री घोष को कब सूचित किया कि उनको शुद्धि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह निर्देश 115 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सदस्य को यह सूचित किया जाए कि उसके द्वारा की गई शुद्धि के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जब शुद्धि कार्यालय में आई तो वह काफी महत्वपूर्ण थी और उसके लिये अनुमति नहीं दी गई। अतः रिकार्ड ज्यों का त्यों ही है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-मध्य) : यदि रिकार्ड ज्यों का त्यों ही है जैसा कि 18 तारीख को था तो यह मामला और भी विशेषाधिकार प्रश्न के अन्तर्गत आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूँगा । रिकार्ड ज्यों का त्यों है परन्तु उन्होंने कहा है कि उनका इरादा नेक था । यह उनका कहना है और उनका स्पष्टीकरण है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम 357 से अनुसार कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद विवाद नहीं होगा । आपने श्री अतुल्य घोष को यह चेतावनी दी थी कि वक्तव्य में कोई विवादास्पद अथवा वाद-विवाद का विषय नहीं होना चाहिए । परन्तु श्री अतुल्य घोष के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि उसमें न केवल विवादास्पद तथा वाद-विवाद के विषय थे अपितु उन्होंने आपके निदेशों के विरुद्ध महत्वपूर्ण शुद्धि करने की भी कोशिश की थी । उन्होंने आपके निदेशों तथा हिदायतों की भी उपेक्षा की है । वह अपने किये के लिये स्वयं ही जिम्मेदार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब नई बातों को सुन लिया है । आज शाम को या परसों···

Shri Madhu Limaye : Please give your ruling on Monday. I want to talk to you in this connection.

Mr. Speaker : There is nothing else to be heard now. I do not want to hear anything more.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप इस मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1966, जिस पर 25 जुलाई, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूँ ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में-जारी

REGARDING QUESTION OF PRIVILEGE-contd

श्री मनेन (दार्जिलिंग) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने निराधार (वाइल्ड) आरोप लगाये हैं···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : यदि आप इस मामले को पुनः आरम्भ करेंगे तो आप को हमें भी पुनः बोलने का अवसर देना होगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री मनेन : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किसी महत्वपूर्ण पदधारी ने पुलिस अधिकारी को अपना कर्तव्य पालन करने से रोका है ।

मेरा यह निवेदन है कि यदि श्री मधु लिमये के वक्तव्य में कही गई बात ठीक सिद्ध होती है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं अपना पद त्याग दूंगा और यदि उनके द्वारा लगाया गया आरोप झूठा सिद्ध होता है तो वह अपना पद त्याग देंगे। दूसरी बात यह है कि यदि साहस है तो श्री मधु लिमये सभा के बाहर अपना वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य बैठ जाऐं। इस प्रकार कोई कार्य नहीं चल सकता।

मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि सभा को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी सदस्य को कड़े से कड़ा दंड दे सकती है जो कि सदस्यता से निष्कासन भी हो सकता है।

(व्यवधान)

शान्ति। शान्ति। क्या इस प्रकार कोई कार्यवाही चल सकती है। लोकतन्त्र इस प्रकार नहीं चलाया जा सकता। मुझे खेद है कि अध्यक्ष को भी कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है।

सदस्यों पर गम्भीर जिम्मेदारी है। यदि उन्हें सभा में बोलने की स्वतंत्रता है तो उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी है कि वह गलत आरोप भी किसी पर न लगायें। सदस्य पहले अपने आप को संतुष्ट करने के बाद कुछ कहें ताकि वह अपना वक्तव्य देने से पहले यह देख सकें कि जो बात वे कहने जा रहे हैं वह गलत नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि मैं सभी आरोपों की जाँच करूँगा। मैं सोमवार को अपना निर्णय दूंगा कि मैं इसके लिये सम्मति दे सकता हूँ अथवा नहीं।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) : Please let me make a clarification. Honourable Member has accused me of making 'wild accusation' against him. I do every thing strictly according to the rules. Since I have not named anybody, why did he stand up ? I even do not know him.

पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के बारे में याचिका

PETITION RE : PUNJAB REORGANISATION BILL 1966

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के बारे में श्री गंगूराम और ऊना तहसील, आनन्दपुर साहिब ब्लाक के अन्य निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (सिरमूर) : मैं पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966 के बारे में चौधरी शान्ति स्वरूप और कांडी, जिला होशियारपुर, के अन्य निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूँ।

वाणिज्य मन्त्री द्वारा दी गई जानकारी के बारे में वक्तव्य तथा मन्त्री महोदय का उत्तर

STATEMENT RE : INFORMATION GIVEN BY COMMERCE MINISTER AND MINISTER'S REPLY THERETO

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये तथा माननीय सदस्य अपने वक्तव्य सभा पटल पर रख दें। मैं उन्हें सदस्यों के बीच परिचालित करा दूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : But the press does not publish our statements **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य कितना बड़ा है ?

Shri Madhu Limaye : It is only a page long.

Mr. Speaker : Please read out.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल यह निर्णय हो चुका है कि वक्तव्य सभा पटल पर रखा जायेगा। सभा की यह जिम्मेदारी नहीं है कि सदस्य का वक्तव्य समाचार पत्रों में छपे।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने एक विशेष वक्तव्य को सभा-पटल पर रखने के लिए कहा था। यह बात सभी वक्तव्यों पर लागू नहीं होती। उसके बाद होने वाले सभी वक्तव्यों को सभा-पटल पर नहीं रखा जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मैं नहीं कह सकता कि वह कौन सा वक्तव्य दे रहे हैं। वह कई वक्तव्य देते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल ही भिन्न वक्तव्य है।

श्री दलजीत सिंह (उना) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज० भ० कृपालानी।

श्री भागवत झा आजाद : श्री दलजीत सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपने उसे नहीं सुना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें श्री कृपालानी के बाद बुलाऊँगा।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने अपना व्यवस्था का प्रश्न पहले रखा था। श्री कृपालानी को बाद में बुलाया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आजाद बैठ जाऐं। इस प्रकार कार्यवाही नहीं चल सकती। **(व्यवधान)**

श्री ज० भ० कृपालानी (अमरोहा) : मैं दोनों पक्षों से यह अनुरोध करता हूँ कि आपके कार्य में बाधा न डालें नहीं तो गड़बड़ी फैल जाएगी। कांग्रेस दल का बहुमत है। वे हमेशा विरोधी दल पर गड़बड़ फैलाने का आरोप लगाते हैं। यदि विरोधी दल गड़बड़ फैलाता है तो उस समय कम से कम वे तो शान्त रहें। इस प्रकार कार्य अच्छी तरह चल सकेगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दलजीत सिंह क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री दलजीत सिंह : मैं यह कहना चाहता था कि यदि यह आवश्यक था कि वह कोई और वक्तव्य दें तो वह कार्य सूची में होना चाहिये था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I am sorry to point out that the match boxes which I had presented before you, had no rubber stamp on the banderols yet Shri Manubhai Shah has maintained in his letter and in his statement that the rubber-stamps were

there. He had said that "it was not the intention of the Khadi Gramodyog Bhavan or the Khadi Commission to sell fewer matches than what is mentioned on the banderol ··· and "therefore, the Khadi Commission **had adopted** the procedure of overstamping by a rubber stamp '25 sticks' even when the banderol used was for 50 matches as the Excise authoritias could not supply them **banderols** for 25 matches." But the statement of the honourable Minister is not correct. There was no such rubber stamp on match boxes bought untill 15th August.

There is yet another surprising thing. The match box hitherto selling for 7 paise is now selling at 10 paise a piece. The Sticks are still 25 in a box. Do the Excise rules not apply to the Khadi Gramodyog? Can **Wimco** also sell a match box of 25 sticks at 7 Paise or 10 paise ? The name of Mahatma Gandhi is associated with the Khadi Gramodyog yet these very people are indulging in all this. The House should take firm action in the matter.

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं उठाई गई बातों के उत्तर में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 7019/66]

पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966

THE PUNJAB REORGANISATION BILL, 1966

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करनेवाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव-जारी

MOTION Re. RECENT RAILWAY ACCIDENTS (Contd.)

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी वाद-विवाद का उत्तर दें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मंत्री महोदय ने सामान्य रूप से उठाये गये प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया है परन्तु उन्होंने विशेष रूप से उठाई गई बातों का उत्तर नहीं दिया है । मैं इस बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ कि सभा में केवल बड़ी-बड़ी बातों से काम नहीं चल सकता । हमें नीतियां बनानी है तथा हल ढूंढ़ने हैं । हमें विशिष्ट तथा ठोस सुझावों के विशिष्ट तथा ठोस उत्तर मिलने चाहिए । उन्होंने विभिन्न बातों का स्पष्टीकरण नहीं किया है । रेल दुर्घटनाओं के बारे में बहुत सी बातें उलझन में ही पड़ी हुई हैं । मैंने कहा था कि डा० कुंजरू के अनुसार रेलवे दुर्घटना जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है । मैंने यह सुझाव दिया था कि डा० कुंजरू को अथवा अन्य समिति को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया जाए । मैं इसका विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ ।

हाल में हुई बहुत सी रेल दुर्घटनाओं की पूरी-पूरी जाँच करने के लिए विभिन्न माँगे की

गई हैं परन्तु दुर्भाग्य से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। श्री कमल नयन बजाज द्वारा यह आरोप लगाया है कि ठेकेदार घटिया किस्म का उपकरण दे रहे हैं। पटरियों के लिए घटिया किस्म का उपकरण प्रयोग किया जा रहा है। जब तक इस आरोप का उचित उत्तर नहीं मिल जाता तब तक हमारे मस्तिष्क में यह शंका बनी रहेगी कि रेलवे प्रशासन ने जो कुछ किया है वह पर्याप्त है अथवा नहीं। रेलवे प्रशासन अपने ही हित में इसका उत्तर दे।

मैंने रेलवे की विभिन्न वर्कशापों में अधीक्षक कर्मचारियों की भारी कमी का विशेष रूप से प्रश्न उठाया था। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में कुछ करें तथा अधीक्षक कर्मचारीवृन्द के अनुपात में वृद्धि करें।

मैं भाई-भतीजावाद की शिकायतों की ओर सभा का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि ऐसे मामलों को किसी स्तर पर नहीं निपटाया जा सकता तो प्रशासन पर संसदीय पर्यवेक्षण बिलकुल असंतोषजनक तथा अपर्याप्त रहेगा।

गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों की दशा के बारे में विशेष रूप से कहा गया था। हम चाहते हैं कि इन कर्मचारियों के कार्य की दशाओं के बारे में विभिन्न शिकायतों पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट शासन तंत्र की व्यवस्था की जाए।

मैं समाप्त करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। मीटर गेज में बहुत सी रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं। इससे चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मीटर गेज पर ब्राडगेज की तुलना में दुगनी दुर्घटनाएं हुई हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि केवल जोनों के पुनर्गठन से मीटरगेज पर दुर्घटनाओं की इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। सरकार को पुनर्गठन अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह बुनियादी चीज है। सरकार ने कभी यह कहा है कि जोन बनाये जाने की संभावना है और कभी कहा है कि तुरन्त भविष्य में फिर जोंन बनाये जाने की संभावना नहीं है।

सरकार कम से कम यह वचन दे कि वह इस विचार से सहमत है और एक क्रम बद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था करे यदि धन की कमी के कारण जोनों के पुनर्गठन का कार्यक्रम तुरन्त नहीं आरम्भ किया जा सकता। आशा है कि मन्त्री महोदय के आश्वासनों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा हाल की रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य पर, जो 25 जुलाई, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रिय गुप्त : रेलवे मन्त्री के वक्तव्य में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिस दिन वक्तव्य दिया गया था उसी दिन पूछना चाहिये था।

श्री प्रिय गुप्त : उन्होंने कहा था कि व्यय में वृद्धि नहीं होगी। यह बात कहाँ तक सही है (अंतर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

———

सभा का कार्य के बारे में

RE. BUISNESS OF THE HOUSE

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : शुक्रवार को मैंने घोषणा की थी कि स्वर्ण नियंत्रण प्रस्ताव पर चर्चा 4.00 बजे मध्यान्ह पश्चात होगी। कुछ सदस्यों ने मुझसे कहा है और मैं भी समझता हूँ कि इसके लिये एक घन्टा पर्याप्त नहीं होगा। अतएव मेरा निवेदन है कि इसे 3.30 पर ले।

श्री मसानी (राजकोट) : हम 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : सभा 5.30 तक बैठ सकती है।

श्री सेझियान : कम से कम दो घंटे दिये जायें।

श्री सत्य नारायण सिंह : तो फिर 3 बजे ही प्रारम्भ कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है हम इस चर्चा को तीन बजे ही ले लेंगे।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक-जारी

REPRESENTATION OF THE PEOPLES.
(AMENDMENT) BILL—(Contd.)

अध्यक्ष महोदय : अब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जायेगी जिसको दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिये विधि मन्त्री ने 1 सितम्बर 1966 को प्रस्ताव रखा था।

श्री प्र० कु० देव (कालाहांडी) : चर्चा प्रारम्भ होने से पहले मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि कल मेरे भाषण में अनजाने ही एक गलती हो गई थी। खूब चन्द बघेल बनाम विद्या चरण शुक्ल वाले मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय की एक पंक्ति मैं गलत पढ़ गया था। निवेदन है कि उसे अभिलेख से निकाल कर यह सम्मिलित कर लिया जाय :

> "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे आरोप असत्य हैं। इस बात को देखना भी कठिन है कि सामान्य बुद्धि वाला कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में किस प्रकार कोई गलती कर सकता है।"

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : इस सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली बात जमानत जमा के बारे में हैं। निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि सामान्य निर्वाचन में जमानत जमा की राशि बढ़ाकर लोक-सभा के लिये 1500 और विधान-सभाओं के लिये 750 कर दी जाये। मेरी राय में यह ठीक नहीं होगा। इससे गरीब उम्मीदवारों, विशेषकर अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को, जिनको निर्वाचकों का भारी बहुमत प्राप्त है बहुत कठिनाई होगी। मन्त्री महोदय ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की है इसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

मेरा दूसरा सुझाव निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस समय व्यय की अधिकतम सीमा लोक-सभा के लिये 25,000 रुपये है और विधान-सभाओं के लिये

यह भिन्न-भिन्न है, किसी राज्य में 9,000 किसी में 6,000 रुपये आदि। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इन अधिकतम सीमाओं का पालन नहीं किया जाता। निर्वाचन में धन का महत्व नहीं होना चाहिये क्योंकि संविधान की व्यवस्था का अभिप्राय यह है कि निर्वाचन बाधारहित और उचित होना चाहिये। अतएव सरकार अथवा निर्वाचन आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि निर्वाचन में कोई धन का जोर न चला सके। मेरा सुझाव यह है कि उम्मीदवार को अपने प्रचार पर—पर्चे छपवाने और विज्ञापन आदि—जो व्यय करना होता है उसको कम करने की दृष्टि से निर्वाचन आयोग प्रचार कार्य को अपने हाथ में ले ले। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक सभी उम्मीदवारों के नाम की सूची और उनके फोटो एक पोस्टर में छपवा कर उन्हें मतदाताओं से परिचित करा दिया जाये।

दूसरी बात मतदाताओं के बारे में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाताओं को उनके फोटो लगे हुए आइडेन्टिटी कार्ड देना व्यवहार्य नहीं है। परन्तु आवश्यकता तो इसी बात की है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके जब यह व्यवस्था कर दी जायेगी तो यह अति उत्तम होगा। इससे दूसरे के नाम में वोट डालना और अन्य बुराइयाँ बच जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : तीन आम चुनावों का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् सरकार को निर्वाचन पद्धति में सुधार करने के लिये संशोधी विधेयक लाना चाहिये था। परन्तु सरकार ने इस मामले पर पूर्णरूपेण विचार नहीं किया है, केवल कुछ उपबन्ध किये जा रहे हैं। स्वतंत्र होने के साथ-साथ निर्वाचन निष्पक्ष भी होना चाहिये इसी से लोकतंत्र अच्छा कार्य कर सकता है। कुछ बातें विधेयक में सम्मिलित नहीं की गई हैं क्योंकि निर्वाचनों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिये योजना आयोग ने जो सिफारिशें की हैं सरकार उन उपायों को अपनाने में हिचकिचाती है।

जम्मू तथा काश्मीर से लोक-सभा का प्रतिनिधित्व अब निर्वाचन द्वारा होगा इसके लिये विधेयक में व्यवस्था करने के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उस राज्य से अब तक लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते थे और अब के निर्वाचित किये जायेंगे। मैं कांग्रेस विधान सभा दल के सचिव के इस मत से सहमत हूँ कि पाक-अधिकृत काश्मीर के लिये हम लोक सभा में दो अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करें जो खाली रहेंगे। मुझे ज्ञात हुआ है कि जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा ने पाक अधिकृत काश्मीर के लिये 25 स्थान खाली रख छोड़े हैं, इसी प्रकार लोक-सभा में भी दो स्थानों की व्यवस्था कर दी जाये। यह इस बात का प्रतीक होगा कि वह क्षेत्र भारत का ही है। इससे राज्य में तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा होगा।

निर्वाचन आयोग ने इस बात पर व्यापक विचार किया है कि किन-किन बातों से निर्वाचन निष्पक्ष हो सकता है। उसका विचार है कि निर्वाचन व्यय के कारण ही निर्वाचन निष्पक्ष नहीं रह पाते। पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उम्मीदवार से समस्त व्यय का ब्यौरा लिया जाता था। बाद में किये गये एक संशोधन के अनुसार अब केवल उसी व्यय का विवरण लिया जाता है जो कि उम्मीदवार ने स्वयं किया हो। यह सर्व-विदित है कि एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्धारित उम्मीदवार के 10,000 रुपये के व्यय के अतिरिक्त राजनैतिक दल अपने उम्मीदवार पर बहुत अधिक व्यय किया करता है। प्रत्येक दल के लाखों रुपये व्यय हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग

की यह सिफारिश स्वीकार न करके कि कुल व्यय एक निश्चित सीमा से अधिक न हो चाहे वह किसी भी स्रोत द्वारा किया जाये, सरकार ने प्रत्येक संस्था के लिये ऐसा मार्ग खुला रखा है जिससे वह बिना हिसाब किताब का कितना भी रुपया व्यय कर सकती है और उसका लेखा-जोखा भी निर्वाचन आयोग को नहीं देना होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार निर्वाचन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर ले कि कुल व्यय का हिसाब रखा जाये, चाहे उसे उम्मीदवार स्वयं करे अथवा उसका कोई मित्र अथवा कोई संस्था, अन्यथा तो 10,000 रुपये के व्यय की सीमा निर्धारित करने का कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरे, निर्वाचन व्यय को विनियमित करने के लिये हमें उस ढंग को भी विनियमित करना होगा जिसमें धन राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है। स्वाभाविक है कि सरकारी दल को विरोधी दलों की तुलना में यह लाभ है कि बड़े निगमों से निगमित धनराशि एकत्र कर लेता है। इस सभा में अनेकों बार इस बात के लिये प्रयत्न किये गये है कि यह अनुचित रीति बन्द हो जाये। जब तक यह बनी रहेगी तब तक निर्वाचन निष्पक्ष या उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार को निर्वाचन आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर लेनी चाहिये कि किसी राजनीतिक दल की राजनीतिक निधि में निगमित क्षेत्र से अंशदान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

एकमात्र जो उपबन्ध स्वीकार किया गया है उसके अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग का एक अधिकारी होगा। अति उत्तम होता यदि इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाती कि यह अधिकारी पूर्णरूपेण चुनाव आयोग के ही अनुशासन में होगा। यह तो स्पष्ट है कि समस्त भारत में निर्वाचन के लिये निर्वाचन आयोग अधिकारियों की व्यवस्था नहीं कर सकता और स्वभावतः उसे निर्वाचन करने के लिये राज्य सरकार पर निर्भर करना पड़ता है जिसके अधिकारी निर्वाचन आयोग के अनुशासन में नहीं होते और जैसा कि गोंडा में हुआ था राज्य सरकार उनसे कदाचार करवाती है। यदि चुनाव अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियंत्रण में रखा जायेगा तो भ्रष्टाचार, कदाचार से बचा जा सकता है।

मुझे इस पर प्रसन्नता है कि निर्वाचन न्यायाधिकरणों को, जिनमें मामलों में अधिक व्यय तथा विलम्ब होता था, समाप्त कर दिया गया है और अब चुनाव मुकदमों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार होता है। इससे न्याय शीघ्र तथा कम व्यय पर होने की आशा की जाती है।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य ने कहा था कि सत्तारूढ़ दल अल्प मत से शासन कर रहा है। मैं यह निवेदन कर दूँ कि लोकतंत्र की जननी इंगलैंड में केवल दो या तीन ही दल हैं इसलिये प्रत्येक दल को वहाँ बड़ी संख्या में मत मिलने का मौका रहता है। परन्तु भारत में तो, अकेले संसद में ही लगभग बारह दल हैं और राज्यों में तो और भी अधिक। अतः निर्वाचनों में यहाँ पर मत दलों में बंट जाते हैं। सत्तारूढ़ दल को अन्य सभी दलों से अधिक मत मिले थे, अतः सदस्य महोदय का उपरोक्त आरोप गलत है और सत्तारूढ़ दल को शासन करने का अधिकार है।

हमारे देश में तीन चुनाव हो चुके हैं और चौथा निकट है। संसार ने इस बात के लिये हमारी प्रशंसा की है कि लोकतंत्र भारत में सफल हुआ है।

इस विधेयक के द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा जा रहा है। मुझे इसमें संदेह है कि इससे निर्वाचन विवादों का निपटारा शीघ्र होगा। इस व्यवस्था से

केवल यह होगा कि उच्च न्यायालय से न्यायाधिकरण को रिट पेटीशन या स्टे आर्डर नहीं दिये जा सकेंगे। क्या इसके लिये वह व्यवस्था नहीं की जा सकती कि सभी चुनाव याचिकाओं का निपटारा चुनाव के बाद 6 महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया जाना चाहिये ?

मैं देखता हूँ कि भारत पर निर्वाचनों पर दिनों दिन अधिकाधिक व्यय किया जा रहा है। यदि ऐसा ही होता रहा तो समाजवादी समाज की स्थापना किस प्रकार हो पायेगी और निर्धन किसान अथवा अन्य निर्धन व्यक्ति किस प्रकार निर्वाचित होकर इस सभा में आ सकेंगे ? निर्वाचन व्यय का विवरण देना एक मजाक मात्र है। वर्तमान व्यवस्था से निर्वाचन व्यय में कोई कमी हो सकेगी मुझे इसमें सन्देह है।

यह सुझाव दिया गया है कि चुनाव का कार्य न्यायाधीशों अथवा जिला न्यायालयों को सौंप देना चाहिये। भारत जैसे बड़े देश में क्या सारे चुनाव यन्त्र को चलाने के लिये हमारे पास पर्याप्त संख्या में न्यायिक अधिकारी हैं ? इसलिये यह कार्य राजस्व अधिकारियों द्वारा ही होना चाहिये। अधिक से अधिक उन अधिकारियों के कार्य की देखभाल के लिये हम चुनाव आयोग का एक ऐजेन्ट रख सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका को यह कार्य नहीं सौंपा जा सकता।

कुछ सदस्यों ने कल यह सुझाव दिया था कि जिन सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोप में अनर्हित किया हो, उनकी अनहर्ता एकदम समाप्त कर दी जाये। मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं और लोकतन्त्र के लिए यह एक अच्छी बात नहीं होगी।

मैं अनुभव करता हूं कि इस कानून से चुनाव ठीक प्रकार चल सकेंगे और आगे जो जनता के प्रतिनिधि इस सदन में निर्वाचित होकर आवेंगे वे अच्छे होंगे ताकि लोकतन्त्र ठीक प्रकार चल सके।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि चुनाव आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है वह व्यापक नहीं है तथा उन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है जिनके कारण निर्पक्ष चुनाव हो सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

विधेयक के अनुसार चुनाव न्यायाधिकरण के स्थान पर चुनाव याचिका पर अब उच्च न्यायालय विचार करेगा। इस विषय में मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि इस से खर्च अधिक बढ़ेगा तथा मुकदमेबाजों को असुविधा होगी। हां, यदि न्यायाधीश जिला सचिवालय में बैठकर कार्य करें और वहां इन याचिकाओं को निबटायें तो ठीक है। उससे खर्च में भी कमी होगी और गवाहों को भी सुविधा रहेगी।

अनहर्ता के बारे में यह लिखा है कि यदि कोई उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के कारण चुनाव लड़ने से अनहर्ता घोषित करता है तो चुनाव आयोग को यह हक है कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकारी बना सकता है। मेरे विचार में ऐसा करना न्यायपालिका का अपमान करना है।

प्रत्येक चुनाव के पश्चात् चुनाव चिन्ह का परिवर्तन होना चाहिये। कांग्रेस को चाहिये कि वह बैलों की जोड़ी के निशान को छोड़ कर चुनाव में कोई और चिन्ह अपनाये। मतदाताओं की अज्ञानता के कारण यह परिवर्तन होना ही चाहिये।

बहुत से उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के बारे में मेरा कहना यह है कि जो स्वतन्त्र सदस्य वास्तविक रूप से चुनाव में खड़े होना चाहें उन्हें खड़ा होने दिया जाये तथा जो 1962 के चुनाव में जीते हैं उन्हें अपना 1962 का चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी जाये।

पिछले चुनाव में मेरे मुकाबले पर भारत सरकार के एक राज्य मन्त्री चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे पता चला कि जिले के बड़े-बड़े अधिकारी उस मन्त्री के कहने पर चलते थे। यदि आप चुनाव से एक दो मास पूर्व दिये गये बन्दूक, पिस्तौल आदि के लाइसेन्स देखें तो पता चलेगा कि चुनाव निर्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं। यदि आप वास्तव में लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको मतदाताओं तथा जो उम्मीदवार आपका विरोध कर रहे हैं, उनके डर दूर कीजिये।

1961 में एक संशोधन धर्म तथा जाति के नाम का प्रयोग करना भ्रष्टाचार घोषित किया था। परन्तु इसका पालन नहीं हो रहा है।

देश में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि चुनाव में सरकार द्वारा कोई प्रभाव प्रयोग न किया जाये। उसके लिये विधि मन्त्री को चाहिये कि इस कानून में एक व्यापक संशोधन करें क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा।

दिल्ली में एक अखिल भारतीय मतदाता परिषद है जिसके सभापति लोकसभा के अध्यक्ष हैं। विधि मन्त्री की चाहिये कि इसकी ओर भी ध्यान दें।

विधेयक में ठेकेदारों के अनर्हता के बारे में भी उपबन्ध है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो खण्ड है वह निरर्थक है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी उम्मीदवार का पक्षपात लेता पकड़ा जाये तो उसे कठोर दंड मिलना चाहिये।

कांग्रेस को चाहिये कि देश में एक नमूने का लोकतन्त्र स्थापित करे।

श्री गो० ना० बीक्षित (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव परिसीमन अधिनियम के बारे में है। सारे संसार के संसदों का यह तरीका है कि वे अधिक से अधिक शक्ति अपने हाथ में रखना चाहती हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार संसद एक प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है ताकि वह जन गणना के आधार पर सीमा में कुछ परिवर्तन कर सके। परन्तु परिसीमन अधिनियम के अनुसार परिसीमन आयोग एक अर्द्ध कानूनी निकाय है तथा वह कानून बनाने वाला निकाय नहीं हो सकता। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

मेरा दूसरा प्रश्न चुनाव याचिकाओं का उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाने से है। यह बहुत अच्छा हुआ है। परन्तु जो न्यायाधीश नियुक्त किये जायें वे वह होने चाहिये जिन्हें फौजदारी तथा दीवानी दोनों प्रकार के कानून का ज्ञान हो।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इससे ऊपर कोई अपील नहीं होनी चाहिये। इसमें यह होना चाहिये कि एक न्यायाधीश का निर्णय भी अन्तिम समझा जाये।

मेरा अगला प्रश्न अनर्हता के बारे में है। संसद में कानून बनाया जाता है। यदि यहाँ सदस्य कानून का उल्लंघन करें तो उन्हें चुनाव में खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसके लिये प्रमाणपत्र अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करना चाहिये कि अमुक सदस्य ने कानून का पालन किया अथवा उसे तोड़ा। यदि अध्यक्ष यह प्रमाणपत्र दे दे कि किसी सदस्य को कानून तोड़ने की आदत थी तो उसे खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The election expenses have been on the increase after every election. The expenses are so high that it has become very difficult for the poor to contest the elections. The rich either contest themselves or they support their representatives in the elections. So long as this dissimilarity remains, we will not be able to hold free and impartial elections.

The Government have not accepted the recommendation of the Election Commission on the plea that each eligible person should be free to contest the election. The number of political parties should be reduced in the interest of the success of democracy.

The present provision of accounting for election expenses should be done away with because the true accounts are not given. The recommendation of the Election Commission in this regard should be accepted.

The election symbols are important in view of the illitracy prevailing in the Country. There should be some provision so that the Commission could use the wide powers given to them in the matter of election symbols.

If the security of a candidate belonging to a particular party is forfeited, the votes polled by him are not counted for the purpose of recognition of that party. Those votes should be counted.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मैं उस संशोधन विधेयक के लिए माननीय विधि मन्त्री को बधाई देता हूँ। हमारा देश बड़ा लोकतन्त्रात्मक देश है। यह गर्व की बात है कि 48 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी, हम शान्ति और सफलता से चुनाव करा रहे हैं। जब तक हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, स्वतन्त्रता की बात करना निरर्थक है, स्वतन्त्र रहने और प्रतिष्ठा के लिए हमें पहले यह कार्य करना होगा कि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्म-निर्भर हों। दूसरी बात यह है कि हम अपने लोगों को शिक्षित करें।

लोकतन्त्र में नागरिकता की कुछ जिम्मेवारियां है। विधि मन्त्री को चाहिये कि आवश्यक मतों के लिए कुछ व्यवस्था कानून में रखे और उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य हो कि वह लोकतन्त्र प्रणाली की सरकार को मानें और शान्ति प्रिय तथा कानून मानने वाले हों।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : समझ में नहीं आता कि सरकार ने चुनाव खर्च, उम्मीदवारों की अधिकता और मोटर गाड़ियों के प्रयोग के सम्बन्ध में चुनाव आयोग की सिफारशें क्यों स्वीकार नहीं की गईं। सरकार को यह सिफारिशें स्वीकार कर लेनी चाहियें थीं।

उम्मीदवारों की अधिकता के सम्बन्ध में यह अस्वस्थ प्रवृत्ति बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने स्वतन्त्र उम्मीदवारों की भारी संख्या के सम्बन्ध में कहा है कि उनमें से कई उम्मीदवार किसी न किसी गम्भीर उम्मीदवार से सौदाबाजी करने अथवा जाति या साम्प्रदायिक आधारों पर लोगों के एक छोटे वर्ग के मतों को फोड़ने के लिए खड़े होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां उचित लोकतन्त्रीय चुनाव प्रणाली के विरुद्ध हैं। विभिन्न राज्यों में अब भी कई ऐसे दल तथा वर्ग हैं जो साम्प्रदायिकता के आधार पर प्रचार करते हैं। तामिलनाड में भी एक दल ऐसा है। मैं पूछता हूँ कि जब साम्प्रदायिकता के आधार पर खुले आम प्रचार होता है तब सरकार क्या करती है। सरकार को ऐसा प्रचार रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये।

निर्वाचन आयोग ने कुछ दलों को बातचीत के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रसारण के बारे में बुलाया था परन्तु समझ में नहीं आता कि तामिलनाड में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सर्वथा उपेक्षा

क्यों की गई है । आयोग यह सुझाव दे रहा है कि संसद में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के अनुपात के आधार पर प्रसारण के लिए समय दिया जाये । यह ठीक सुझाव नहीं है । सभी दलों को उचित समय दिया जाना चाहिये ।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ उपाय करने चाहियें कि जाली मत न डाले जायें । इस बारे में आयोग द्वारा दिये गये इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये कि पंचायतें मतदाताओं की सूची तैयार रखा करें । मतदाताओं की पहचान रखने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिये । मतदाताओं को पहचान पत्र भी दिये जा सकते हैं । मद्रास में यह दिखाया गया है कि बिना सील तोड़े मत-पेटिका खोली जा सकती है ।

Shri R. S. Pandey (Guna) : Attacking the character of candidates through posters, advertisements and speeches has become a very common practice. It is very undesirable to try to defeat a candidate by attacking his personality and defaming him in public. We should, therefore, hold our elections under such a system that incitement is not done against any candidate nor his character is assassinated. As in the case of United Kingdom, we should also have mobile magistrates who should see that there is no objectionable material in the election posters and speeches. If any such thing is found, they should give their verdict then and there.

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दलों द्वारा किया जा रहा व्यय इतना अधिक अवांछनीय है तथापि ऐसे तरीके निकालना आसान नहीं है जो व्यवहार्य, कारगर तथा सर्व-स्वीकार्य हों । इस धारा में परिवर्तन के लिए कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं दिया गया है । हमें यह ध्यान रखना है कि विधि द्वारा सभी दोष समाप्त नहीं किये जा सकते । चुनाव लड़ने वाले सभी लोग अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं । राजनैतिक शिक्षा और चुनाव सम्बन्धी नैतिकता ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका विकास किया जाना है ।

उम्मीदवारों की अधिक संख्या के बारे में एक सुझाव दिया गया है । हमें अनुच्छेद 84 नहीं भूलना चाहिये जिसमें यह उपबन्ध है कि कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है यदि उसके पास कुछ अर्हतायें हों । यदि कोई प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो हम उनको उस अधिकार से वंचित कर रहें होंगे ।

यह भी कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी निर्वाचन के कार्य में भाग लें तो उन्हें दण्ड दिया जाये । सभा को इस बात की जानकारी है कि धारा 129 के अधीन सरकारी कर्मचारियों को ऐसी कोई बात करने की अनुमति नहीं है जिससे किसी अभ्यर्थी को लाभ पहुँचता हो । जो कोई इसका उल्लंघन करता है उसे छः मास कारावास तथा अर्थ दण्ड दिया जा सकता है । दण्ड प्रक्रिया संहिता में चुनाव सम्बन्धी अपराधों का एक अध्याय है जो सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होता है । सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत उनका चुनाव में भाग लेना निषिद्ध है ।

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Pathak should give us an assurance that our voter is allowed to reach the Polling Station and he is not obstructed.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Whether the Government is prepared to accept the proposal that a drunkard will not be allowed to cast his vote and also contest the elections in view of the fact that our Country is following Gandhian ideals ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक अल्पावधि सूचना संशोधन के रूप में सुझाव

देता हूँ कि "अगले सत्र के पहले दिन" की बजाय "अगले सत्र के पहले सप्ताह का अन्तिम दिन" रखा जाये जिससे हमें विमति टिप्पण के लिए समय मिल जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : विमति टिप्पण के लिए काफी समय दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 36 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें लोक सभा के 24 सदस्य, अर्थात् :—

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव, श्री भागवत झा आजाद, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री होमी दाजी, श्री नारायण दाण्डेकर, श्री श्रीनारायण दास, श्री अ० कु० गोपालन, श्री हरिविष्णु कामत, श्री कर्णी सिंहजी, श्री मधु लिमये, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री विश्वनाथ पाण्डेय, श्री चे० र० पट्टाभिरामन, चौधरी राम सेवक, श्री शिवराम रंगो राने, श्री एच० सी० लिंग रेड्डी, श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री श्याम लाल सर्राफ, श्री ईरा सेझियान, श्री सोनावने, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री तुला राम, श्री अमर नाथ विद्यालंकार, और, श्री राधे लाल व्यास

और राज्य-सभा के 12 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 12 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) विधेयक

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL) POSSESSION BILL

रेलवे मन्त्री (श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेल सम्पत्ति के विधिविरुद्ध कब्जे के सम्बन्ध में विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाए"

यह विधेयक वर्तमान रेलवे स्टोर्स (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम, 1955 का प्रतिस्थापन करने के लिए रखा जा रहा है और इसके द्वारा रेल सम्पत्ति से, जिसमें परिवहन में माल शामिल है, सम्बन्धित मामलों की उचित जांच तथा अभियोजन की व्यवस्था की जानी है और यह व्यवस्था भी की जानी है कि सम्बन्धित अपराधियो को निवार्णार्थ दण्ड दिया जाय। अभी तक

शब्द "सम्पत्ति" की परिभाषा थी—वह सम्पत्ति जो रेलवे की हो। परन्तु "सम्पत्ति" में वह सम्पत्ति शामिल नहीं थी जो रेलवे के रक्षण में होती है और जिसके लिए रेलवे को भुगतान करना पड़ता है यदि वह खो जाती है। यद्यपि किसी व्यक्ति के पास रेलवे स्टोर्स का विधि विरुद्ध कब्जा होना रेलवे स्टोर्स (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपराध है, फिर भी यह अधिनियम अपराधों की जांच पड़ताल के ढंग और प्रक्रिया को विनियमित नहीं करता है। अतः देश की पुलिस रेलवे स्टोर्स (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अपराधों की जाँच दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों द्वारा करती है। प्रस्तावित विधेयक में रेल सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराधों की जांच पड़ताल आदि की प्रक्रिया की व्यवस्था की जा रही है।

इस विधेयक को पेश करने की आवश्यकता इस कारण हुई है कि 1953-54 में मुआवजे के दावों की राशि 2 करोड़ 90 लाख थी जो कि 1962-63 में 4 करोड़ 20 लाख हो गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे अधिनियम, 1961 में संशोधन के कारण रेलवे पर माल तथा पशुओं के परिवहन के उत्तरदायित्व का भार और बढ़ गया है। इन कारणों से सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया है कि इन चीजों की हानि को रोकने के लिए कामगर कदम उठाये।

अभी तक राज्य की पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही की जाती थी। पुलिस के पास और भी बहुत से काम रहते हैं इसलिए यह उनके लिए गौण विषय हो गया और अब रेलवे विभाग ने उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है।

रेलवे लाइनें देश के अधिकांश भाग में बिछी हुई हैं और जो सम्पत्ति आदि उसको सौंपी जाती है वह देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाई जाती है। इस प्रकार लगभग अखिल-भारतीय क्षेत्राधिकार बन जाता है। अतः चूंकि राज्य पुलिस का क्षेत्राधिकार राज्य की सीमाओं तक सीमित है, पुलिस के लिए प्रायः यह कठिन हो जाता है कि वह ऐसे अपराधों की ठोस और सफल जांच कर सके। इसके अतिरिक्त रेलवे सम्पत्ति के सम्बन्ध में मामलों की जांच के लिए रेल कार्य की विशेष जानकारी होनी चाहिए जो कि सरकारी रेलवे पुलिस को नहीं हो सकती। रेलवे सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराधों का निरोध, उनका पता लगाना, जांच करना और मुकदमा चलाना एक दूसरे पर निर्भर कार्य हैं और इन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जांच पड़ताल करने की शक्ति रेलवे सुरक्षा सेना को प्राप्त होनी चाहिए। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि रेलवे स्टोर्स (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1955 के बदले में और अधिक व्यापक अधिनियम बनाया जाए जैसा कि वर्तमान विधेयक है, ताकि उसके क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन के लिए रेलवे को सौंपे गये माल के विधिविरुद्ध कब्जे को लाया जा सके और अपने अपराधों के लिए निवारणार्थ दण्ड की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ साथ यह भी प्रस्ताव किया गया है कि रेलवे सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपराधों की जांच करने की शक्ति रेलवे सुरक्षा बल को दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री नम्बियार (तरुचिरापल्लि) : इस विषय पर दो मत नहीं हो सकते हैं कि रेलवे में चोरी तथा उठाई गीरी को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु रेलवे सुरक्षा

बल को पुलिस की शक्तियां देना उचित नहीं हैं। ऐसी व्यापक शक्तियां जिनका कि विधेयक में उपबन्ध किया गया है, पुलिस के अतिरिक्त किसी अन्य बल को नहीं दी जानी चाहिए।

रेलवे सुरक्षा बल का प्रथम कर्तव्य है चोरियां रोकना। यदि कोई चोरी हो जाती है तो रेलवे सुरक्षा सेना को अपराधी का पता लगाना चाहिए और पुलिस के सपुर्द करना चाहिए। स्वयं रेलवे सुरक्षा दल को ही मुकदमा नहीं चलाना चाहिए अन्यथा एक राज्य में एक से अधिक पुलिस कार्य करने लगेगी।

विधेयक के खण्ड 2 (ख) के अन्तर्गत हम रेलवे सुरक्षा बल को बिना वारंट के और मजिस्ट्रेट से पूछे बिना लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति दे रहे हैं–इसके लिए केवल संदेह ही काफी है। ऐसी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसी व्यवस्था केवल रेलवे यात्रियों के लिये ही खतरनाक नहीं है बल्कि रेलवे कर्मचारियों के लिए खतरनाक है। यदि कोई आदमी रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस के हवाले किया जाय किन्तु एक राज्य में केवल एक ही पुलिस बल होना चाहिए। आज यदि रेलवे पुलिस बल को शक्तियां दी गईं तो बाद में डाक तथा तार विभाग भी एक अलग सुरक्षा बल की मांग कर सकता है। इस प्रकार पुलिस बलों की संख्या बढ़ती जायेगी। अत: यह शक्ति पुलिस से नहीं ली जा सकती और तथाकथित रेलवे पुलिस बल को नहीं दी जा सकती। रेलवे पुलिस बल का कर्त्तव्य है कि वह चोरी और उठाई-गीरी को रोके। मैं इस सीमा तक रेलवे पुलिस बल को शक्तियां देने का विरोध करता हूँ। यह प्राकृतिक न्याय और देश में कानूनी प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I welcome the Bill. The railway Passengers are aware that large-scale thefts of Coal, looking glasses in the bath rooms and copper wire take place in the Railways. This is a cognizable offence according to the Indian Penal Code and as such any body can be authorised to arrest the guilty on the spot. The powers being given to the 'Rakshak' were essential to check thefts in the Railways.

Shri Tyagi (Dehra Dun) : The Bill was not comprehensive as it had no provision to deal with mob attacks on railway property.

If certain people come in a procession and set fire to a railway station, all the persons participating in the procession should be treated as accused. Some provision to that effect should be made. However I support the Bill.

Shri Bade (Khargone) : The Bill has been brought with the intention that thefts and pilferage on the railways should be checked. However I do not agree with it. Railways is a Commercial concern. It would not be proper for the Railways to have a separate police force. There is already railway police at the stations belonging to the State Governments. Therefore there was no need to have a separate Police force for the Railways. It would not be proper to establish a sort of double Government.

The powers delegated to police Sub-inspectors are very wide and therefore not justified. They have also been delegted the powers of investigation. The Government thinks that the Railway Force personnel are not corrupt. That was not the case. Those people at times tried to help thieves and it seems that they provide shelter to those thieves.

The provision relating to investigation was not proper. It should be amended.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I appreciate the spirit of the Bill. But it is not clear whether Railway Protection Force personnel will belong to Police Department or they will be treated as employees of Railways. According to the present law they are Railway employees. It is not wise to entrust a Railway employee with police powers. Railway Protection Force and GRP should be merged.

State police had the power of investigation and arrest. It was not proper to give that power to the Railway Portection Force.

As regards unlawful possession of Railway property, I can say that petty employees of Railways are authorised to take home their tools and implements after finishing day to-day work. But lowlevel employees of Railway Protection Force round up these employees.

It was being provided that a person, in respect of whom there was a reasonable suspicion of unlawful possession of railway property, would be punished. The matter for consideration was as to who would decide about reasonable suspicion. It would be too much to give that power to the Railway Protection Force alongwith the power to arrest without warrant.

By now Railway Protection Force is entrusted mainly with the work of safeguarding the Railway property. By this Bill, RPF and GRP will become separate police entity and it would be difficult to carry on the work effectively.

It was therefore desirable to bring about coordination between the two. I therefore support this bill.

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : विशेष रूप से आज की स्थिति को देखते हुए जबकि इतनी रेलवे सम्पत्ति नष्ट की जा रही है और उसका अधिकांश भाग चुराया जाता है विधेयक की बड़ी आवश्यकता है परन्तु यह विचार किया जाए कि यह विधेयक संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं। सम्पत्ति का विधि विरुद्ध कब्जा, चाहे वह रेलवे की सम्पत्ति हो अथवा कोई अन्य सम्पत्ति हो, अपराध है जिसके लिए दंड संहिता में पहले ही उपबन्ध है। ऐसा होते हुए यह एक प्रकार के भेदभाव के समान होगा यदि केवल रेलवे सम्पत्ति के मामले में उस अपराध के लिए भिन्न व्यवस्था की जाएगी। अतः रलवे मंत्रालय को भारतीय दंड संहिता की सम्बद्ध धारा मे सशोधन करने की बात सोचनी चाहिए और रेलवे सम्पत्ति के विधिविरुद्ध कब्जे को पृथक कानून के अन्तर्गत लाने की बजाय सामान्य दंड कानून के अन्तर्गत लाया जाए क्योंकि केवल रेलवे सम्पत्ति के साथ अन्य सम्पत्ति से भिन्न व्यवहार करने में कोई औचित्य नहीं है।

कई अन्य अधिनियमों के अधीन अन्य बलों को शक्तियां दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल को ऐसी शक्तिया अवश्य दी जायें क्यों केवल यही दल देश के कोने-कोने में प्रभावशाली हो सकती है राज्य पुलिस पर कई बन्धन तथा रुकावटे हैं। यदि रेलवे सुरक्षा बल भ्रष्ट है तो राज्य पुलिस भी भ्रष्ट हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल को शक्तियां देने से काम बड़ी कुशलता से हो सकेगा। प्रश्न केवल यह है कि क्या ऐसी व्यवस्था सामान्य आपराधिक विधि के अनुसार उचित है। इसकी रेलवे मन्त्रालय और सरकार द्वारा जाच की जानी चाहिए। अन्यथा इस विधेयक पर मुझे कोइ आपत्ति नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री राने (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। रेलवे सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध बढ़ गये हैं। रेलवे सम्पत्ति काफी बड़े पैमाने पर नष्ट की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE. GOLD CONTROL

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It is the opinion not only of the ruling Party and the opposition party in the House but the people of this country that Gold Control Order

should be withdrawn. It was a common knowledge that the Gold Control Act had done incalculable harm to lakhs of people in the country. It was a black measure which was responsible for the death of about 250 pesons who had committed suicide. The Gold Control Order had also deprived the public exchequer of about Rs 100 crores a year which could be collected by way of direct and indirect taxes from the gold trade.

The relaxation in the Gold Control order were announced by the Government only after the demonstrations and agitation against the order were intensified and taken a serious turn. This was not the way the Government should deal with national problems. It should not let such important matters drag on to a point where people were left with no other choice except to take resort to agitation, fasts and hunger strikes. It would have been wise on the part of the Government to have announced the relaxation at least a month ago.

Another point that is agitating our minds is that why the measure was not announced by the Finance Minister ?

One failed to understand why the Government was not restoring the position as it was in 1963 before the Gold Control Order had come into force. Even now when it had announced the relaxations, it should have come out with all other concessions which it had not given.

The Country has suffered a lot on account of adoption of Gold Control Order. We have lost income tax to the tune of Rs. 27 crores per annum. The Government has lost Rs. 350 crores from direct and indirect taxes during the last three years. Taken all together the country has suffered to the extent of Rs. 400 crores. I want to know who is responsible for that.

At the time the Gold Control Act was enacted it was said that it would check smuggling of gold, bring down the price of gold in the country to the international level and would also check the lure of gold. But none of these objectives had been fulfilled. Smuggling of Gold had not only been not checked but it had increased.

It has been said that smugglers have adopted new techniques after the announcement of the Gold Control Order. Not only this, more quantity of gold has been smuggled into our Country and it has been continuously on the increase. In 1963, when the order was announced, only 1033 Kg. Gold was seized. In 1964, 1532 Kg gold was seized by the Government which has increased to 2301 Kg in the year 1965. L. P. Singh Commitee has also pointed out that Gold tothe extent of Rs 100 crores is smuggled into this Country every year and we are losing foreign exchange to this extent. It is obviously due to this fact that the prices of gold in India are higher than international price of gold.

It was claimed that this Order would check smuggling of gold, bring down the price of gold in the country to the international level and would also check the lure of gold. But none of these objectives have been fulfilled. So far as smuggling of gold is concerned, it has not only been not checked but it has increased. As for the prices, they too have been going up after the issue of the Gold Control Order. As regards the lure of gold, it has also not been checked. In fact before the order was issued, people were voluntarily giving gold to the Government when China had attacked our country. But when the order was enacted and came into force, people stopped giving gold because they doubted the intentions of the Government. The Government then came forward, with the Gold Bond Scheme which also failed. Ultimately the Government introduced the National Defence Scheme which also produced no result. Against the estimated reciept of Rs 100 crores worth of gold, the Government got gold worth only Rs. 60.13 crores. This shows how people's faith in the Government had shaken.

Now that the Government have announced these relaxations, it will be more graceful if it announces concessions in respect of other matters also. The Finance Minister should come out with a statement that the Gold Control Order Act of 1963 was a mistake on the part of the Government and that the measure will be completely withdrawn. He should not stand on false prestige.

The Government should deal with national problems in a proper and wise manner and it should not let such important matters drag on a point where people are left with no other choice except to take resort to agitation, fasts and hunger strikes.

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश अधिनियम अन्य कई कानूनों / अधिनियमों की भांति अर्थशास्त्र के नियम तथा मानव स्वभाव के प्रतिकूल पग है जिससे समूचे देश में लाखों छोटे-छोटे लोगों को काफी नुकसान तथा वेदना पहुँची है। मुझे यह देख कर खुशी है कि जनमत की शक्ति ने इस सरकार को कम से कम अपने स्वर्ण नीति के गलत रास्ते से पीछे हटने पर बाध्य कर दिया है। इस नीति में परिवर्तन करने का पूर्ण श्रेय भारत के स्वर्णकारों को मिलता है। इस वर्ग के लोगों ने धैर्य, साहस, तत्परता तथा त्याग की क्षमता का जो परिचय दिया है, वह सराहनीय है।

स्वर्णकारों को समझना चाहिए कि प्रधान मन्त्री ने कल जो रियायतें दी हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। यदि वे यह समझते हैं कि इन रियायतों से उनका पेशा बहाल किया जा रहा है, तो यह उनकी भूल होगी। चुनावों से पूर्व यह एक बहुत बड़े धोके की रियायत है, केवल इस अधिनियम को पूर्णत: रद्द किये जाने पर ही सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ चाहे वे किसान हों अथवा स्वर्णकार के साथ न्याय होगा।

इस अधिनियम को पुरःस्थापित करते समय यह दावा किया गया था कि इसके तीन परिणाम होंगे : एक तो यह कि सोने की तथा कथित लालसा कम होगी; दूसरी यह कि सोने का मूल्य घट जायेगा; और तीसरी बात यह कि सोने का तस्कर व्यापार समाप्त हो जायेगा। किन्तु इनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

इस अधिनियम के संविधि पुस्तक पर लाने से पूर्व सोने का मूल्य 130 रुपये 61 पैसे प्रति तोला था और इस समय सोने का मूल्य 167 रूपये 90 पैसे प्रति तोला तक बढ़ चुका है। यह एक साधारण बात है कि ज्यों-ज्यों रुपये का मूल्य घटता जायेगा, चीजों के दाम बढ़ते जायेंगे और सोने का मूल्य भी बढ़ेगा। रुपये का मूल्य घटने और सोने के मूल्य बढ़ने का गहरा सम्बन्ध है।

जहां तक सोने के तस्कर व्यापार का सम्बन्ध है, हमे पता है कि तस्कर व्यापार जारी है और तब तक वह जारी रहेगा जब तक कि भारतीय स्वर्ण मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मूल्य में अन्तर है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम अपने उद्देश्य में बुरी तरह असफल रहा है क्योंकि इस कानन को पूर्णत: बिना विचारे बनाया गया था जो मानव स्वभाव तथा अर्थशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHYAM LAL SARAF *in the Chair*]

भारत में सोने की कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो केवल रुपये की समस्या है। आवश्यकता स्वर्ण नियंत्रण की नहीं अपितु रुपया नियंत्रण की है, रुपये का मूल्य कम नहीं होना चाहिये, इसमें कोई सन्देह नहीं कि आने वाले वर्षों में रुपये का मूल्य घटने वाला है तथा सोने का मूल्य बढ़ने वाला है। रुपये का मूल्य चौथी योजना के कारण गिरने वाला है। सरकार को रुपये का और आगे अवमूल्यन करना पड़ेगा जिसे वह, अपने प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं रोक सकेगी।

सरकार इस अधिनियम को रद्द करने के लिए अब भी तैयार नहीं है और वर्तमान रियायतों को उचित ठहराया गया है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम ने देश के लाखों लोगों को अगणित हानि

पहुँचाई है। 20 लाख व्यक्ति इसके कारण बेरोजगार हो गये हैं। उनको राहत देने का कार्य इस कारण समाप्त नहीं कर देना चाहिए कि ये तुच्छ रियायतें दी गई हैं अन्यथा उन सभी लोगों के प्रति एक नया अन्याय करना होगा। हमारा दल तब तक शान्ति से नहीं बैठेगा जब तक कि इस अधिनियम को रद्द नहीं कर दिया जाता।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश अधिनियम के उद्देश्य सराहनीय थे तथापि सत्तारूढ़ दल के बहुत से सदस्यों ने, जिनमें मैं शामिल था, इसका आरम्भ में ही विरोध किया था। किन्तु सरकार का विचार तथा उद्देश्य इन स्वर्णकारों की जीविका के वास्तविक अधिकार को छीनने का नहीं था। सरकार ने उनके पुनर्वास पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को तथा इस मामले में मानव पहलू को ध्यान में रख कर स्वर्ण नियंत्रण आदेश की कठोरता को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार इस दिशा में काफी आगे बढ़ी है और इससे लोगों को खुशी हुई है।

आशा है कि नये नियमों को बनाते समय स्वर्णकारों तथा सर्राफों के बीच भेद को समाप्त किया जायेगा।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। स्वर्ण नियंत्रण आदेश का विरोध केवल इस सभा के सदस्यों ही नहीं अपितु समूचे देश के लाखों व्यक्तियों ने किया था, वह इस लिए नहीं कि इसका प्रभाव अमीर लोगों पर पड़ता था बल्कि इस लिए कि जन साधारण तथा गरीब जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रधान मन्त्री ने वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण में जिन संशोधनों की घोषणा की है, उनका देश के कुछ वर्गों ने स्वागत किया है किन्तु मुझे इसमें चुनाव की चाल दिखाई देती है। यदि इसी बात की घोषणा आज से चार मास पूर्व जब बम्बई में अखिल भारतीय काग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ था, की गई होती, तो उसमें कम से कम कुछ शान जरूर होती। मुझे तो केवल एक डर है वह यह कि चुनाव खत्म होते ही सरकार इसे कहीं फिर लागू न कर दे।

सुनारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने जो ऋण दिये हैं, उन्हें वापस लेने के लिए सरकार को जोर नहीं देना चाहिए। स्वर्णकारों को उनके छोटे से घर तथा सोने के काम से सम्बन्धित कुटीर उद्योग के लिए जिन्स के रूप में साज-सामान, औजार आदि देने के प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि उन पर जो मुसीबत आई है, वह उनकी गलती का परिणाम नहीं है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : I agree that the Gold Control has failed to achieve its objectives but there is no doubt that it was imposed with good intentions. To cast a doubt always on the intentions of the Government is not good.

I do not agree that there has been any delay on the part of the Government in taking a decision in regard to the Gold control. This matter was raised in the All India Congress Committee in May. At that time Parliament was not in Session. The Government has availed of the earliest opportunity and announced its decision.

Government has also taken a right step in controlling the gold refineries. Government should also control the gold trade. This is was perhaps the only country in the world where gold trade is being controlled by the private sector. Even in a Capitalist country like United States gold trade is not in the private sector.

I would also like to suggest that Government should itself import Gold worth Rs 40 crores and should sell it to the gold-smiths through State trading Corporation and that goldsmiths should also be allowed to export onethird or one fourth of their manufactured ornaments. If such an arrangement is made by Government it will be of great benefit to the people.

डा० म० श्री० अणे (नागपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री ने कल एक वक्तव्य दिया यद्यपि कुछ लोग जो कि यह चाहते थे कि स्वर्ण नियंत्रण को पूर्णतया हटा दिया जाये इसको पसन्द नहीं करेंगे। सरकार ने जो भी कार्यवाही की है वह आधे मन से की है और जल्दी ही सरकार महसूस करेगी कि इस बारे में आगे और कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

भारत में सोने का मूल्य 140 अथवा 150 रुपये तोला है जहाँ कि दूसरे देशों में इसका मूल्य 70 अथवा 75 रुपये है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ लोगों के दिलों में सोने के लिए विशेष आकर्षण है। यदि हम वास्तव में समाज कल्याण राज्य चाहते हैं तो सोने के प्रति हमें अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा। मुझे आशा है कि इस बारे में गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : People have to face great difficulties in these three years when Gold Control was in force. Thus I congratulate the Government for giving some concession to Goldsmiths.

Smuggling of gold should be stopped so that economy of the country could be improved. Women and goldsmiths arrested during this agitation should be released immediately.

श्रीमती विमला देवी(एलुरू) : स्वर्ण नियन्त्रण के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना 1963 में सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश को प्रख्यापित कर दिया ताकि तस्कर व्यापार बन्द किया जा सके, छिपे सोने को बाहर निकाला जा सके, इसके मूल्य में कमी की जा सके और सोने के प्रति लोगों के आकर्षण को कम किया जा सके तथा लोग अपना धन विकास सम्बन्धी योजनाओं में लगा सके। परन्तु इनमें से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है।

जहाँ तक सोने के तस्कर व्यापार का सम्बन्ध है स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के जारी होने के बाद से इसमें वृद्धि हो रही है। इस देश में लगभग 40 अथवा 50 करोड़ रुपये का सोना चोरी छिपे लाया जाता है जबकि सरकार केवल इसका केवल पाँच प्रतिशत ही जब्त कर सकी है।

सरकार सदा यह कहती है कि विरोधी दल कोई ठोस सुझाव दें परन्तु जब सुझाव दिए जाते हैं तो सरकार उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करती। जब स्वर्ण नियन्त्रण आदेश जारी किया गया था तो विरोधी दलों ने कहा था कि तस्कर व्यापार तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि सरकार सोना चाँदी बाजार को अपने नियन्त्रण में न ले ले। परन्तु ऐसा किया नहीं गया। परन्तु मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कम से कम अब सरकार इस बाजार को अपने नियन्त्रण में लाने का यत्न कर रही है।

मैं श्री मसानी से सहमत नहीं हूँ कि सरकार सोना चाँदी बाजार पर नियन्त्रण नहीं रख सकती। सरकार अवश्य ही ऐसा कर सकती है कि सोने को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दर पर क्रय करके लोगों को सप्लाई कर सकती है। इससे कुछ हद तक तस्कर व्यापार अवश्य रुक जायेगा।

यदि सरकार हमारे से ठोस सुझाव चाहती है तो मैं कहूँगी कि सोना तथा सोने के आभूषण रखने के लिए एक सीमा निर्धारित की जाये। परन्तु यह सीमा ऐसी होनी चाहिए जो कि मध्यमवर्गीय लोगों की पहुँच में हो।

अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जेल में भेजे गये सभी सुनारों को रिहा कर दिया जाये। स्वर्णकारों को जो ऋण दिये गये हैं उनमें कटौती नहीं की जानी चाहिए।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : At the time of the introduction of Gold Control Bill in the House I opposed it and said that it will not achieve any objectives.

I am glad that the restriction of 14 carat has been removed and that ornaments of better quality could now be manufactured. But smuggling of gold cannot be stopped because we have failed to bring its price at par with international price.

If people want gold our Government should import gold worth hundred crores of rupees and supply it to people inspite of the fact that we are short of foreign exchange.

Government's control over refineries will create difficulties for the people because most of the people purchase and possess Gold in this country. It will be more troublesome for the village people because they will have to come to Bombay, Delhi and Calcutta for the purpose of getting their gold refined.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : It is a matter of great regret that Members of Parliament did not find a place in the Informal Committee constituted by Government in connection with Gold Control and ultimately Government had to disagree with the Committee and allow the goldsmiths to make ornaments of 22 caret gold. But the question is whether it has been done with a good intention or otherwise since Government have asked for the gold declared.

Shri B. R. Bhagat : Government would not take it. People can get ornaments made by it.

Shri U. M. Trivedi : I think Govt. is not acting in good faith in this matter. The Government have framed this legislation simply to encourage adulteration while laws are passed to check it.

I would request the Government that if it really wants to rehabilitate the goldsmiths and see that ornaments are made of 22 Caret gold, it should not take back the loans sanctioned to goldsmiths by it. It is proper time to earn the good will of goldsmiths.

Secondly, when Government have accepted the principle of 22 Caret gold and have not accepted the interim report of the Committee, it should immediately release the goldsmiths imprisoned by it.

In the end, I would like to add that the goldsmiths should be provided full facilities to run their business. There should not be any hardship and injustice in the cases proceeded against under the Customs Act. Government will have to justify its actions by acting in good faith.

कुछ माननीय सदस्य उठे

सभापति महोदय : श्री हनुमन्दैया :

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : श्रीमन्, मैंने भी अपना नाम दिया था।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मेरा नाम भी था।

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur) : I had also given my name.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I have moved an amendment.

Mr. Chairman : It will not be possible to listen to so many members at a time. I would try to call as many members as possible keeping in view the time allotted for it.

Shri S. M. Banerjee : Those members who have moved amendments must be given an opportunity.

सभापति महोदय : इस कार्य के लिये नियत किये गये समय के अनुसार मैं मन्त्री महोदय को 4 बजकर 45 मिनट पर बुलाऊंगा और उन्हें केवल 12 मिनट मिलेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : वह सोमवार को उत्तर दें।

श्री ब० रा० भगत : नहीं, नहीं। हम आज बैठकर इसको समाप्त करें।

सभापति महोदय : मैं सभा की इच्छा के अनुसार चलने के लिये पूर्णतया सहमत हूँ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मेरा सुझाव है कि यदि सभा स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के सम्बन्ध में चर्चा को बढ़ाना चाहती है, तो इसको सोमवार को जारी रखा जाय क्योंकि यदि आज और समय दिया जायेगा तो आध घंटे की दो चर्चाओं के लिये समय नहीं रहेगा। यह एक अत्यन्त अवांछनीय प्रक्रिया होगी।

सभापति महोदय : अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका देने के लिये, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मन्त्री महोदय सोमवार को उत्तर दें।

Shri R. S. Pandey : The reply should be given today. We should not create any suspense.

Shri B. R. Bhagat : We should not postpone it for the next day. I would require only 15 minutes.

सभापति महोदय : मेरा एक सुझाव है। हम 5 बजकर 15 मिनट तक इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आध घंटे की चर्चा लेंगे। श्री हनुमन्तैया।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : प्रधान मन्त्री के कल के वक्तव्य का काफी स्वागत किया गया है। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का, जब यह बनाया गया था, काफी विरोध किया गया था। उस समय व्यक्त की गई यह आशंका कि इससे लाभ के स्थान पर हानि निकलेगी सच ही निकली।

संसद के गत सत्र में मैंने इस आदेश को रद्द करने का प्रस्ताव किया था। संसद के विभिन्न दलों के सदस्यों का भी यही विचार था कि इस आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि इसके हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सके।

सरकार ने जो समिति नियुक्त की, उसने जनता की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। हम प्राय: कहते हैं कि लोकतन्त्र में केवल जनता ही सर्वोपरि है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें जनता की राय के विरुद्ध काम किया गया है।

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू हैं। जहां तक सोना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को रोकने का सम्बन्ध है, इसके लिये इस आदेश का कायम रहना आवश्यक है। हममें से कुछ ही लोग मुद्रा की तुलना में सोने के महत्व को समझ सके हैं। स्वर्ण को आधार मानकर मुद्रा निश्चित की जानी चाहिये जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है। मेरे कहने

का तात्पर्य यह है कि हमें सोने की समस्या पर और मुद्रा की तुलना में हमारी अर्थ व्यवस्था में इसके महत्व पर पुन: विचार करना चाहिये। यदि आप इस मामले को स्थायी अधिकारियों को सुपुर्द कर देते हैं, तो वे अपनी फाइलों अथवा अपने वातानुकूलित कमरों से पर क्या कुछ हो रहा है, उसे नहीं देख सकते। यह एक ऐसा मामला है जिसमें न केवल देश अपितु विश्व की घटनाओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अत: मेरा सुझाव है कि सोने की समस्या पर नये सिरे से विचार करने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों की एक समिति गठित की जानी चाहिये जैसा कि संसार में हो रहा है। जब तक हम पहिले से ही विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम समय के अन्दर निर्णय नहीं कर सकेंगे।

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में संशोधन बहुत पहिले ही कर दिया जाना चाहिये था, संसद सदस्यों तथा देश के मत की अवहेलना की गई। जो सलाह दी गई वह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुसार नहीं थी। मैं इस बात के लिये प्रधान मंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मसले को बुद्धिमानी से तथा एक ऐसे तरीके से सुलझाया जो कि जनता को स्वीकार है।

अन्त में मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के विरोध में किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को तुरन्त छोड़ देना चाहिये तथा देश में एक स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाना चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : संसद के समक्ष किया जाने वाला प्रदर्शन समाप्त हो गया है तथा मेरी प्रार्थना है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को फौरन रिहा कर दिया जाना चाहिये तथा उनके विरुद्ध मामलों को वापस ले लिया जाना चाहिये।

यदि आदेश में यह संशोधन तीन वर्ष पहिले ही कर दिया गया होता, तो मैं अत्यन्त आभारी होता। स्वर्णकारों द्वारा गत तीन वर्षों में सरकार के हाथों अकथनीय कठिनाइयां तथा यातनायें सहने के बाद यह संशोधन किया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अधिनियम में संशोधन करते समय सरकार का विचार कुछ उपबन्धों को बनाये रखने का है जिससे स्वर्णकारों की परेशानी बनी रहेगी। अत: ये रियायतें केवल आंशिक हैं और इनसे स्वर्णकार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। इस तरह के अधूरे उपायों से मूल समस्या हल नहीं हो सकती।

देश में छिपे सोने को बाहर निकालने तथा सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के मामले में स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम सफल नहीं हो सका है जिसका कारण सरकार की नीति है। सोने का तस्कर व्यापार अभी तक चल रहा है। सरकार को भली भांति पता है कि देश में सोना चोरी छिपे किस प्रकार आ रहा है।

सभा में एक दिन यह बताया गया था कि निर्यात के मूल्य तथा अर्जित विदेशी मुद्रा की धनराशि में बड़ा अन्तर है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे, जिनके बारे में अखबारों में खूब लिखा जाता है, तस्कर व्यापार करने वाले व्यक्तियों से और अधिक रिश्वत लेने के लिये मारे जाते हैं।

जहां तक सोने के उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में 1961-62 में 1,36,498 औंस सोने का उत्पादन हुआ जब कि 1966-67 में इसका 1,10,000 औंस होने का अनुमान है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है कि आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके सोने के तस्कर व्यापार को समाप्त किया जाय ? क्या वह इस बारे में चिन्तित है कि छिपे हुए सोने को किस प्रकार बाहर निकाला जाय ? गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के लागू होने से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि इन मामलों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तनिक भी चिन्तापूर्ण नहीं था। अतः यदि सरकार अपनी सोना-चांदी बाजार सम्बन्धी नीति में भारी परिवर्तन नहीं करना चाहती और सोने की जमाखोरी करने वालों तथा चोरी छिपे व्यापार करने वालों को कड़ा दण्ड नहीं देना चाहती तो अधिक अच्छा है कि अधिनियम को रद्द कर दिया जाय।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Government have so far put four main bans--prohibition, ban on prostitution, ban on fragmentation of holdings and ban on Gold. All these bans have completely failed not because they were bad in principle but because Government was thoroughly incompetent. The fact is that this Government can never be successful in doing anything which is beneficial to the country.

It always gives protection to the big persons, whatever crime they may commit, and harasses the small persons. This can be proved from the case of Shri Chiranji Lal Goenka. When this fellow's house was broken through, Gold worth eleven or twelve lakh rupees was seized from there. This thing had happened in December 1965. The prosecution was launched in the High Court of Rajasthan. The verdict was given in May 1966. I may submit briefly that verdict. It was as stated below.

"The application was ante-dated to create evidence in favour of the petitioner, but it did not strike him that the form which he was presenting therewith was of a later date and thus the trick sought to be played by the petitioner stands exposed."

In order to hide out the whole thing this fellow said that he had given this gold to Government at the time of Indo China conflict and also pretended that he gave an application in that connection. The decision of the Judge is that this application is false, because the paper or form on which this application was given was manufactured at a later date. Inspite of this no action has been taken against him. He has been released on bail.

Shri Surendra Nath Dwivedi (Kendrapara) : If we look at the history of Gold Control Order we will find that there was absolutely no policy and method behind its promulgation. It becomes quite evident by the way the rules and regulations under the Gold Control order are being changed from time to time since 1963. Government have not scrapped this order because of political obstinacy. It was not their policy but was merely political obstinacy that had been coming in the way of the scrapping of the order. I am glad that Goldsmiths have compelled the Government to change its policy.

The Gold Control Order has not proved beneficial for any one. It has brought untold miseries to small Goldsmiths by creating unemployment among them. It did not either stop smuggling in Gold or bring down its price. The only persons who have benefited by it are corrupt Government officials.

Government have repealed Expenditure Tax though it was very good from the economic point of view. Like the Expenditure Tax; Government can repeal Gold Control Order and, they should repeal it. There should only be a proper control over the gold trade.

The Committee appointed by Government has submitted only an interim report. It will submit its final report later on. The committee has said that the Gold Control Order has not been successful because the rules were not implemented properly. It is a matter of great sorrow that this thing is being said after an amount of rupecs twenty seven crores has been spent in this regard.

It appears that relaxations have been made in the Order keeping in view the coming elections. I would, therfore like to know from Government whether they have come to believe that the gold control is futile. If they think that it is futile then they must scrap it.

Shri R. S. Pandey (Guna) : Mr. Deputy-Speaker, Sir; I want to submit that.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को बुला लिया है।

Shri R. S. Pandey : I congratulate the Government for having relaxed the order, but I would like it to make announcement reg ırding the release of goldsmiths.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : I have to inform the House that orders for the release of Goldsmiths are being issued. It is hoped that all of them would be released in a day or two.

Shri Bishen Chander Seth (Etah) : Sir, I have not got any opportunity to speak during the Session. I want to speak for the first time. I have also given an advance notice to speak. This is most unfortunate that I am not being given a chance to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। और भाषण नहीं हो सकते।

Shri Bishen Chander Seth : As I have not been given a chance, so I will leave the House.

(इसके पश्चात् श्री बिशनचन्द्र सेठ तब सभा भवन से चले गये।

Shri Bishen Chander Seth then left the House)

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : आपने हमारे दल को बोलने का समय नहीं दिया है। आप मुझे बोलने का समय अवश्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी और भाषण की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B.R. Bhagat) : The hon. Members have now expressed their feeling on Gold Control Act. This matter has become a political issue especially at the time when elections are coming very soon. I will not go into detail of it but will say some thing about the Statement of the Prime Minister, which she gave yesterday regarding the amendment of the Act. It becomes quite evident from the statement of the Prime Minister that since the promulgation of the order the circumstances have not been created when it has become essential to scrap it. It also becomes quite clear from that statement that Gold Control Act was essentially a step of social reform. Our prople had ı een using Gold for thousands of years and they had a great fascination for it. Therefore it was too much to expect from them to change their habit within so short a period. But there cannot be any doubt about this thing that the people had begun to realise that it is not a good thing to use gold and hence its use should be discouraged.

The next question that arises before us is how to check smuggling of gold because there is acute shortage of foreign Exchange. We should save that money so that the same may be invested in development works.

The next point was raise d about the unemployment amongst goldsmiths. So far as that question is concerned, I think, there cannot be two opinions in regard thereto. It is the duty of Government to help them and they will never fail in thier duty.

Most of the hon. Members had urged that gold Control should be withdrawn. But none of them has said what can be the effects of such a step on the economy of the country. The elections are coming very shortly and we should not make it a political issue to get advantage out of it.

The production of gold in our country is very short. It is not sufficient which can meet our needs. At the same time we cannot afford to import it from other countries because of the difficulties of foreign Exchange. Therefore, it is very much esssential for us that we discourage the demand of gold. We will be doing a great service to the country if we create an atmosphere for that purpose.

Now I would say some thing about the limit on the quantity of primary Gold. It is a very essential thing. In a country like America, where gold is available in abundance, no body can keep more than 150 dollars of Gold with him.

It has also been said that gold refineries shall be nationalised.

I do not agree with the suggestion that in order to bring down the price of gold, we should suspend our plans as well as development works. I am of the view that the price of gold, cannot come down unless and until we give up our habit to wear ornaments. If we want to bring such a change we will have to formulate public opinion.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to the hon. Members who have supported my motion. There were two members— Shri D. C. Sharma and Shrimati Tarkeshwari Sinha—who supported only the spirit of the motion.

Shri Bhagat's statement was some what different this time. I had asked for many clarifications in my speech but none has been clarified. He should have stated as to who should be held responsible for the loss of crores of rupees annually, to the public exchequer, as a result of the Gold Control Act. But he has merely stated that the opposition parties want to exploit the situation. If the opposition wants to exploit the situation then why did not Government with draw the Act when a motion was moved in that regard at Bombay in the A. I. C. C. meeting.

I had also said in my speech that according to the 1961 census there are more than 5 lakh goldsmiths and there are 3 lakh goldsmiths according to the L. P. Singh report. There are as many as 2½ lakh gold-smiths who have not taken any licence. The Government should state what their position would be when the restrictions on the making of ornaments will now be removed.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री यशपाल सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sahha divided

पक्ष में : 24, विपक्ष में : 111

Ayes 24, Noes 111

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 और 5 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

Substitute Motion Nos. 4 and 5 were, by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Substitute Motion Nos. 6 and 2 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री प्रकाशवीर शास्त्री का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 38, **विपक्ष में** 108

Ayes 38, Noes 108

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived

---

*अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था

**INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किशन पटनायक।

श्री कन्डप्पन : (तिरूचेंगोड) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था के बारे में आज तीसरी बार यह आधे घंटे की चर्चा हो रही है। हर बार इस अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्था पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया गया है जिन पर हिन्दी का भूत सवार है। यह उचित नहीं है, मेरी यह प्रार्थना है कि इसे सभा में न लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Dy. Speaker, it is said that the Institute of International Studies is an institution of international repute. It is said so because of its character of providing such facilities which people need to specialize in area-studies. But there are cases in which an instructor who has specialized on Nepal has been forced to work in Commonwealth Deptt. another man who worked on African Congo has been given the subject of Central Asia. On Central Asia there has been no studies so far. Is it specialization in area-studies ? There is no use of the books or thesis published from this institution in the eyes of public. They are called 'trash' The institution is spending money lavishly. More is spent on staff rather than on studies.

Now I take up the point of allowing thesis in Hindi language. A student wrote his thesis in Hindi, the subject of which was Central Asia. It was the first thesis on this subject. It is also worth noting that reading material on this subject is available more in Hindi than English. This thesis was not accepted by this institution. Though the institution has passed a resolution, as Shri Chagla reffered on that day, that permission of writing thesis in Indian languages will be given only then when there will be available adequate readi g material in teachers and examiners of those languages. This is an illogical resolution. On the one hand it is said that Indian languages can be made medium of instruction in Universities if there are books and thesis

---

*आधे घटे की चर्चा।

**Half an Hour Discussion

available in those languages, on the other hand the efforts of writing the books in Indian languages are discouraged, as happened in the case of the said student. How will the books be available in this way in Indian languages ?

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair.*]

It is also not necessary that a thesis should be written in the same language, as provides reading material. For example, Max Muller studied the material in Sanskrit and wrote books in German language. Shri Chagla should also keep article 351 of the Constitution in mind, which lays responsibility of enriching the Hindi language and developing it as medium of instruction on the shoulders of Central Government. This article should also be applied to this institution. It is a discouragement not only to those who are anxious to write in Hindi but to those also who are making such efforts in other Indian languages. Government should see that incentive and facilities are given to all such writers. If it will be done there will be a plenty of books in our languages. Professors and examiners will also be available. Then medium of instruction can soon be changed over to regional languages.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I would like to know whether an amount of Rs. 30 lakhs earmarked for studies on Himalayas, has been spent. Secondly I would like to know whether any research-work of international standard has been carried in this institution. If so, what is the name of that ?

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : क्या इस संस्था ने अपने उक्त संकल्प को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई ऐसी पूछताछ की है जिससे यह मालूम होता कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में पर्याप्त सामग्री और योग्य शिक्षक और परीक्षक उपलब्ध हैं या नहीं ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ और यदि नहीं तो सरकार उस दिशा में क्या कदम उठायेगी ?

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : क्या सरकार को यह मालूम है कि अहिन्दी भाषी व्यक्तियों के मन में यह धारणा बन गयी है कि उच्च शिक्षा की सभी संस्थाएं हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं ? उसी प्रकार की संस्थाएं अहिन्दी भाषी क्षेत्र दक्षिण भारत में भी स्थापित की जानी चाहिएं ताकि उच्च शिक्षा का स्तर एक समान बना रहे।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : स्नातकोत्तर और शोध अध्ययन के स्तर, हिन्दी भाषी शिक्षकों और परीक्षकों के अभाव आदि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हिन्दी के कट्टर समर्थकों के आग्रह पर उच्च शिक्षा का स्तर नीचे गिराने की नीति अपनाने जा रही है ?

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : क्या सरकार इस संस्था में केवल हिन्दी अपनाकर तमिल, गुजराती, मलयालम जैसी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए द्वार बिल्कुल बन्द करने जा रही है ? क्या सरकार भारत में शिक्षा का स्तर विदेशी विश्वविद्यालयों के स्तर के अनुरूप ही रखना चाहती है ?

श्री कन्डप्पन (तिरूचेंगोड़) : हम अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्तर बनाये रखना चाहते हैं किन्तु हिन्दी साम्राज्यवाद इसके विपरीत कार्य कर रहा है। क्या सरकार संविधान में ऐसा संशोधन करेगी जिसमें कट्टर हिन्दी समर्थक शिक्षा के स्तर और शिक्षा-संस्थाओं की स्वतन्त्रता को नष्ट न कर सकें ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या सरकार यह प्रयास करेगी कि भाषा-विवाद और

भाषा-मोह का संस्था के शिक्षा-स्तर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और सभी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों को इस संस्था में अध्ययन और शोध-कार्य के समान अवसर प्राप्त हों ?

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : Is Ministry of Education aware of the fact that Govt. has accepted that all the fourteen languages mentioned in the constitution should be adopted as the medium in examinations of Union Public Service Commission ? Whether the Government and this institution have accordingly changed their policy ? If so what is the change they have done ?

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Is it not a fact that money is being spent extravagantly in the name of this institution of international standard ? There is nepotism bribery and corruption in this institution. Is it not a fact ?

श्री बासप्पा (तिप्तुर) : क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संस्था के कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रबन्ध किया है, यदि हां, तो इस योजना से कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ? इस संस्था में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और यदि वे पृथक पृथक भाषाओं को अपनायें तो उन सभी भाषाओं को जानने वाले कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी ? इस संस्था पर कुल कितना खर्च होता है और सरकार इसके लिये क्या देती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : यह अशोभनीय है कि देश की एक उच्च स्तरीय शिक्षा संस्था पर इस प्रकार से टीका-टिप्पणी की जा रही है। उस पर गलत और निराधार आरोप लगाये जा रहे हैं। सभा में इस संस्था के प्रश्न को उठाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई जा रही है। इस प्रकार इस संस्था के चरित्र का हनन किया जा रहा है।

इस संस्था का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1955 को हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जो उस समय उप राष्ट्रपति थे, द्वारा किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित ज्ञान को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना एक ऐसे केन्द्र के रूप में की गयी थी जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और विभिन्न देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों का उच्च स्तरीय अध्ययन किया जा सके। इस संस्था में भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के छात्र प्रवेश पाते हैं। यह एक राष्ट्रीय केन्द्र है जहां छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर स्नातकोत्तर स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से भी कुछ अधिकारी इसमें प्रशिक्षण पाने के लिये भेजे जाते हैं। यहाँ उन्हें उसी क्षेत्र के बारे में पढ़ाया जाता है जहाँ उन्हें कार्य के लिये भेजा जा रहा है। इस संस्था में भारत के सभी क्षेत्रों से आये हुए विद्यार्थी और शिक्षक हैं। और कुछ विद्यार्थी और शिक्षक तो विदेशी भी हैं।

श्री भागवत झा आजाद : हमने आपका ध्यान कुछ मामलों की ओर आकर्षित किया है, कुछ निश्चित आरोप लगाये हैं। कृपया उनका उत्तर दीजिये।

श्री मु० क० चागला : मैं पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूँ कि यदि कुछ विशिष्ट मामले हैं तो उनके बारे में छान-बीन की जायेगी।

जहाँ तक संस्था के माध्यम का प्रश्न है, उसे ऐसी भाषा में ही रखा जा सकता है जिसे भारत के सभी भागों और विदेशों से आने वाले सभी छात्र समझ सकें और ऐसी भाषा अंग्रेजी ही है। सभी 14 भाषाओं में शिक्षा देना सम्भव नहीं है। शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा हो सकती है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा विदेशी है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में और कोई चारा नहीं है।

हिन्दी में शोध-पत्र लिखने के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जैसे ही हिन्दी जानने वाला शिक्षक अथवा मार्ग दर्शक उपलब्ध होगा जो छात्रों को हिन्दी में पढ़ा सके और सहायता दे सके वैसे ही विद्यार्थियों को हिन्दी में शोध पत्र लिखने की अनुमति दे दी जायेगी।

श्री शिव नारायण (बांसी) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है। गणपूर्ति अब भी नहीं है। अध्यक्ष के निर्देश संख्या 19 के अधीन, अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री महोदय तत्सम्बन्धी वक्तव्य बाद में किसी रोज सभा-पटल पर रखें।

श्री मु० क० चागला : मैं वक्तव्य सोमवार या मंगलवार को सभा-पटल पर रखूंगा।

सभापति महोदय : चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिये सभा सोमवार 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 5 **सितम्बर** 1966/14 **भाद्र** 1888 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, September 5, 1966/**Bhadra** 14, 1888 (**Saka**).

Tirthraj Press, Allahabad.